छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2022

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, पिन कोड-492002

दूरभाष : कार्यालय (0771) 2512107, फैक्स नं. : 2512102

वेबसाइट : www.siccg.gov.in ई-मेल : sic.cg@nic.in

ऑनलाईन पोर्टल : rtionline.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

आयोग का स्वरूप

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
एम. के. राउत
(सेवानिवृत्ति तिथि 11.11.2022)

❑❑❑

राज्य सूचना आयुक्त
ए. के. अग्रवाल
(सेवानिवृत्ति तिथि 23.11.2022)

❑❑❑

राज्य सूचना आयुक्त
मनोज त्रिवेदी

❑❑❑

राज्य सूचना आयुक्त
धनवेन्द्र जायसवाल

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अधिकारी

सचिव
जी. आर. चुरेन्द्र

❑❑❑

अवर सचिव
गीता दीवान

❑❑❑

स्टाफ ऑफिसर
श्रीमती रजनी छड़ीमली
विरेन्द्र गुप्ता

❑❑❑

संयुक्त संचालक (जनसम्पर्क)
संतोष मौर्य

❑❑❑

वरिष्ठ लेखाधिकारी
जे. आर. रावटे

❑❑❑

अनुभाग अधिकारी
अतुल कुमार वर्मा

अनुक्रमणिका

स.क्र.	अध्याय/परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.		प्रस्तावना	
2.	अध्याय–1	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान।	1–8
3.	अध्याय–2	छ.ग. राज्य सूचना आयोग का गठन एवं बजटीय प्रावधान।	9–13
4.	परिशिष्ट–01	छ.ग. राज्य सूचना आयोग हेतु स्वीकृत पदों का सेट–अप (अमला)	10–11
5.	परिशिष्ट–02	छ.ग. राज्य सूचना आयोग के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 तक का कुल आय–व्यय का विवरण पत्रक।	12–13
6.	अध्याय–3	छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा कैलेण्डर वर्ष में निष्पादित कार्य	14–16
7.	अध्याय–4	अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निष्पादित कार्य	17–18
8.	अध्याय–5	अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव।	19–22
9.	अध्याय–6	छ.ग. राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर शासन की कार्यवाही।	23–28
10.	परिशिष्ट – 3.1 से 3.4	छ.ग. राज्य सूचना आयोग में प्राप्त अपील एवं शिकायतों की जिले एवं विभागवार जानकारी।	29–38
11.	परिशिष्ट – 4.1 से 4.9	विभागीय जानकारी	39–56
12.	परिशिष्ट – 5	छ.ग. राज्य सूचना आयोग को प्राप्त अपील एवं शिकायत प्रकरणों का वर्षवार विवरण (2006 से 2022 तक)	27–58

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (1)के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2022 प्रस्तुत है। अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–7–16/2005/1/6 दिनांक 01 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रशासनिक एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से सूचना आयुक्तों के मध्य आयोग के कार्यों का विभाजन किया गया है। वर्तमान में आयोग में चार वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा है, जिसका उपयोग राज्य के सुदूर क्षेत्रों के जिले के आवेदकों/शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए निरन्तर की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई सभी जिले के साथ विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की गई। राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहें हैं और छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपना जबाव ई–मेल sic.cg@nic.in फैक्स नम्बर 0771–2512102 व्हाट्स नम्बर 94255–02363 के माध्यम से भेजने की सुविधा है।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले आवेदनों को ऑनलाईन भेजने के लिए एक वेबपोर्टल rtionline.cg.gov.in लांच किया है, जिसमें जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्व पंजीयन किया जा रहा है।

वर्ष 2022 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में कार्यशाला एवं सम्मेलनों में सार्थक भागीदारी की गई। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 20.10.2022 को तथा संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 08.12.2022 एवं 15.12.2022 को मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कार्यशाला का आयोजन कर जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा निष्पादित कार्यो का उल्लेख वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 03 में वर्णित है।

आयोग में अधिकारी/कर्मचारी की कमी होते हुए भी अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा रहा है। सचिव श्री जी.आर.चुरेन्द्र एवं अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्य संचालन में अथक सहयोग दिया है। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में भी उनकी सारगर्भित भूमिका रही है। मैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव तथा शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव एवं सचिवगणों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रतिवेदन तैयार करने के लिये आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायें हैं।

इस प्रतिवेदन में भी पूर्व प्रतिवेदनों की भांति कुछ सुझाव एव अनुशंसाएं प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन सुझावों एवं अनुशंसाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

अध्याय - 01
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार और अधिकारियों के कामकाज में सुधार लाने और पारदर्शिता लाने का एक सार्थक प्रयास है। सूचना का अधिकार देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और अधिकारियों में लालफीताशाही को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पदाधिकारियों का पदों के प्रति जवाबदेह होना जरूरी है। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। यदि जनसूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो ऐसे अधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से सूचना के अधिकार की गारंटी दी गई है, तथापि नागरिकों को अधिकार के रूप में सूचना प्राप्त करने की व्यावहारिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। यह कानून अत्यधिक व्यापक है और इसमें शासन के लगभग सभी मामले शामिल किये गये हैं। यह कानून सरकार के सभी स्तरों अर्थात संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू होने के साथ–साथ उल्लेखनीय सरकारी अनुदान प्राप्त करने वालों पर भी लागू है, अतः इसकी पहुँच व्यापक है।

2. वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मार्गदर्शिका में सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु अद्यतन एवं समेकित दिशा–निर्देश है। इस मार्गदर्शिका के पांच भाग हैं। मार्गदर्शिका भाग–1 में अधिनियम के कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा की गई है ,जिनकी जानकारी सभी पदाधिकारियों को होनी चाहिए। शेष चार भाग क्रमशः लोक प्राधिकरणों, सूचना मांगने वालों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य :-

3. सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना, भ्रष्टाचार रोकना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के लिए काम करने के लिए तैयार करना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, कि एक जानकार नागरिक शासन के अभिकारकों पर तुलनात्मक रूप से बेहतर निगरानी रख सकता है और सरकार को अधिक जवाबदेही बनाने में सहायक हो सकता है। सरकार के क्रियाकलापों के बारे में नागरिक को जानकार बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का बनना एक बड़ा कदम है।

सूचना क्या है :-

4. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री ''सूचना'' है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप से धारितअभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है।

इसमें किसी निजी निकाय से संबधित ऐसी सूचना भी शामिल है, जिसे लोक प्राधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

लोक प्राधिकारी क्या है :-

5. ''लोक प्राधिकारी'' का आशय ऐसे प्राधिकरण या निकाय या संस्था या स्व–शासन से है, जो संविधान द्वारा, अथवा उसके अधीन, अथवा संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि द्वारा अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा स्थापित या गठित की गई हो। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाले और इनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आते हैं। केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तपोषक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। अधिनियम पर्याप्त वित्तपोषण को परिभाषित नहीं करता है। विभिन्न न्यायालय/सूचना आयुक्त प्रत्येक मामले के गुण–दोष पर निर्भर करते हुए,मामले–दर मामले आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय कर रहें हैं।

जन सूचना अधिकारी :-

6. लोक प्राधिकारियों ने अपने कुछ अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। ये अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होते हैं।

सहायक जनसूचना अधिकारी :-

7. ये उप मण्डल स्तर के वे अधिकारी, जिन्हें कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी आवेदन अथवा अपील दे सकता है। ये अधिकारी आवेदन अथवा अपील को लोक प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी अथवा संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को भिजवाने के लिए जिम्मेदार है, किन्तु वे सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

8. विभिन्न डाक खानों में डाक विभाग द्वारा नियुक्त किए गए सहायक जनसूचना अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरण के लिए सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहें हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार :-

9. किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है,जो उस लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डो का निरीक्षण दस्तावेजों या रिकार्डो के नोट उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जनसूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है, जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। जनसूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना

भी अपेक्षित नहीं है, जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना/अनुमान लगाना, अथवा सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।

10. नागरिकों को डिस्केट्स, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित हो।

11. आवेदन को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डो के परीक्षण में कोई हानि की संभावना होती है,तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

12. कुछ मामलों में आवेदक जनसूचना अधिकारी से स्वयं द्वारा तैयार किए गए किसी विशिष्ट प्रपत्र में इस तर्क के आधार पर सूचना प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, कि उन्हें उसी रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें वे चाहें। यह नोट करने की आवश्यकता है कि अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधान का अभिप्राय यह है कि यदि सूचना फोटोप्रति के रूप में मांगी जाए तो यह फोटोप्रति के रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और यदि यह फ्लापी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति के रूप में मांगी जाए, तो इसे उसी रूप में दिया जाएगा, जो अधिनियम में दी गई शर्तो के अधीन होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जनसूचना अधिकारी सूचनाओं को नया रूप देगा।

13. कुछ व्यक्ति जनसूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं, कि वह दस्तावेजों में खोजकर उन्हें सूचना दें। किसी भी नागरिक को जनसूचना अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है, जो सम्बद्ध लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में जनसूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह निकाले गए निष्कर्ष आवेदक को दें। अभिप्राय यह है, कि जनसूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए, जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। जनसूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध के परिणाम नागरिक को बताएगा।

अन्य अधिनियमों की तुलना में सूचना का अधिकार :-

14. सूचना का अधिकार अधिनियम का, अन्य कानूनों की तुलना में अधिभावी प्रभाव है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम,1923 और इस समय लागू किसी अन्य कानून में यदि ऐसे प्रावधान है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में असंगत है, तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होगें।

संगठनों आदि को सूचना की आपूर्ति :-

15. अधिनियमके अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, उनको सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी यदि किसी

निगम, संघ, कम्पनी, गैर, सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दे दी जानी चाहिए,बशर्ते कि वह अपना नाम इंगित करे। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है।

सूचना मांगने का शुल्क :-

16. किसी लोक प्राधिकारी से सूचना मांगने के इच्छुक नागरिक से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना मांगने का निर्धारित शुल्क 10/– (दस रूपये) लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को डिमांट ड्राफ्ट पत्र अथवा बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑडर, मनी ऑर्डर, छत्तीसगढ़ का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर, ई–स्टाम्प पेपर के माध्यम से संलग्न कर सकता है। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी अथवा सहायक जनसूचना अधिकारी को नगद रूप में भी किया जा सकता है, उसके लिए आवेदनकर्ता को उपयुक्त रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

17. सूचना प्रदान करने हेतु आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 में निर्धारित किए अनुसार अतिरिक्त शुल्क दिया जाना आवश्यक है। यदि अतिरिक्त शुल्क मांगा जाता है, तो जनसूचना अधिकारी उसकी सूचना आवेदनकर्ता को देगा। नियमावली के अनुसार निर्धारित शुल्क की दरें निम्नानुसार है :–

    (क) प्रत्येक पेज (ए–3 अथवा अधिक छोटे आकार में) कागज के लिए दो रूपए (2/–रूपए)

    (ख) बड़े आकार के कागज में फोटोकापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत

    (ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत

    (घ) डिस्केट अथवा फ्लापी में सूचना प्रदान करने के लिए पचास रूपये (50/–रूपये)प्रति डिस्केट अथवा फ्लापी देय होगा।

    (इ) ऐसे प्रकाशन के लिये नियत मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकॉपी के लिए दो रूपये प्रति पृष्ठ।

    (च) सूचनाओं पर खर्च हुआ डाक प्रभार जो पचास रूपये से अधिक न हो।

18. किसी नागरिक को लोक प्राधिकारी के रिकार्ड जांच करने का अधिकार है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए लोक प्राधिकारी पहले घण्टे के लिए शुल्क नहीं लेगा। किन्तु उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड)के लिए पांच रूपये का शुल्क (5/–रूपये) लेगा।

19. गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आवेदनकर्ता को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ यदि निर्धारित 10/–रूपये के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, नहीं होगा तो आवेदन को अधिनियम के अन्तर्गत वैध नहीं माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे आवेदनों के प्रत्युत्तर में सूचना देने पर लोक प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगें।

आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र :-

20. सूचना मांगने हेतु आवेदन के लिये कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। आवेदन पर उस पते का उल्लेख करे जिस पर सूचना भेजी जाना अपेक्षित है।

21. आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की कोई आवश्यता नहीं है।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त करना :-

22. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तथापि, धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो, तो उप धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तथापि,धारा 8 की उप धारा (2) अनुसार यदि प्रकटीकरण से संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो, तो उप धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।

23. सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी से संबंधित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद जैसी छूट से मुक्त हो जाएगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिये प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा :–

(i) जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा,सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा कोई अपराध भड़कता हो,

(ii) जिसके प्रकटन से संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो,

अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान से दी गई शर्तो के अधीन मंत्रिपरिषद, सचिवों और राज्य अधिकारियों के विचार–विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज।

रिकार्ड अवधारणा अनुसूची तथा अधिनियम :-

24. अधिनियम लोक प्राधिकारी से असीमित अवधि तक रिकार्ड अवधारित करने की अपेक्षा नहीं करता है। लोक प्राधिकारियों को लागू रिकार्ड अवधारणा अनुसूची के अनुसार ही अपने रिकार्ड को अवधारित करना चाहिए।

आवेदक को उपलब्ध सहायता :-

25. यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप से अनुरोध करने में असमर्थ है, तो लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में आवेदन तैयार करने में युक्तियुक्त सहायता करे। यदि किसी दस्तावेज को, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उपलब्ध कराना अपेक्षित है, जनसूचना अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय-अवधि :-

26. सामान्यतः किसी आवेदक को सूचना लोक प्राधिकारी के आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर दे दी जानी चाहिए। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वातंत्रय से हो, तो सूचना आवेदन की प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध करना अपेक्षित है।

प्रथम अपील :-

27. यदि किसी आवेदक को 30 दिन अथवा 48 घण्टे की निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है अथवा वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी जो जनसूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी होता है, के समक्ष अपील कर सकता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय–सीमा के समाप्त होने अथवा जनसूचना अधिकारी के निर्णय के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकती है। लोक प्राधिकारी के अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपील का निपटान अपील आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर व विशेष मामलों में 45 दिन के भीतर कर देगा।

28. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश करने में असफल रहता है अथवा यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से संतुष्ठ नहीं होता है, तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने के लिए निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने अथवा अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक रूप में निर्णय की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है।

शिकायतें :-

29. यदि कोई व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी नियुक्त न किये जाने के कारण आवेदन करने में असमर्थ है, अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी उसके आवेदन अथवा अपील को सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार करता है, अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना पाने के उसके अनुरोध को ठुकरा दिया जाता है, अथवा अधिनियम में निर्धारित समय–सीमा के भीतर उसके सूचना प्राप्त करने के अनुरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, अथवा उससे शुल्क के रूप में एक ऐसी राशि अदा करने की अपेक्षा की गई है, जिसे वह औचित्यपूर्ण नहीं मानता है, अथवा उसका विश्वास है कि उसे अधूरी, गुमराह करने वाली व झूठी सूचना दी गई है, तो वह सूचना आयुक्त के समक्ष शिकायत कर सकता है।

तृतीय पक्ष से सम्बद्ध सूचना :-

30. अधिनियम के संदर्भ में तीसरे पक्ष से तात्पर्य आवेदक से भिन्न सूचना के लिये अनुरोध करने वाले अन्य व्यक्ति से है। ऐसे लोक प्राधिकारी भी तृतीय पक्ष की परिभाषा में शामिल होगें, जिनसे सूचना नहीं मांगी गई है।

तृतीय पक्ष से सम्बद्ध सूचना का प्रकटन :-

31. वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों अथवा बौद्धिक सम्पदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुंचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है। ऐसी सूचना का तब तक प्रकटन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोकहित में वांछित है।

32. यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तृतीय पक्ष से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तृतीय पक्ष से ऐसी सूचना को गोपनीय माना है,तो जनसूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि यदि प्रकटन से तृतीय पक्ष को संभावित हानि की अपेक्षा बेहत्तर लोकहित सधता हो तो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाये बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित न हो। तथापि ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले जनसूचना अधिकारी द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया होगा।

33. यदि जनसूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्त करने की तारीख के 5 दिन के भीतर, तृतीय पक्ष को लिखित सूचना देनी होगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदन द्वारा उससे संबंधित सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना को प्रकट करना चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को कोई प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिये नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

34. जनसूचना अधिकारी को चाहिए वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय लें। ऐसा निर्णय सूचना का अनुरोध प्राप्त होने से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिये जाने के पश्चात, जनसूचना अधिकारी को लिखित रूप में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय के संबंध में नोटिस देना चाहिए। तृतीय पक्ष को नोटिस देते समय यह भी बताया जाना चाहिये कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का अधिकार है।

35. तृतीय पक्ष, जनसूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के प्राप्त होने से तीस दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह सूचना आयोग के समक्ष 90 दिन के अंदर अपील कर सकता है।

36. यदि तृतीय पक्ष द्वारा जनसूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाये।

37. तृतीय पक्ष से संबंधित ऐसी सूचना, जिसे तृतीय पक्ष गोपनीय मानता है, के संबंध में जनसूचना अधिकारी को निर्णय ''जनसूचना अधिकारी हेतु'' अध्याय (IV) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए करना चाहिए यदि तृतीय पक्ष सूचना का प्रकटन नहीं चाहता है, तो उसे प्रकटन न करने हेतु अपना मत रखने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

शास्ति का अधिरोपण :-

38. अधिनियम आवेदक को सूचना आयुक्त के समक्ष अपील करने और आयोग के समक्ष शिकायत करने का अधिकार देता है। यदि किसी शिकायत अथवा अपील का निपटान करते समय सूचना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जनसूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिये आवेदन को प्राप्त करने से मना किया है अथवा निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना नहीं दी है अथवा सूचना के अनुरोध को दुर्भवनापूर्वक अस्वीकार किया है अथवा जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी है अथवा संबंधित सूचना को नष्ट किया है अथवा सूचना प्रदान करने की कार्यवाही में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न की है,तो वह आवेदन प्राप्ति अथवा सूचना दिये जाने तक इस शर्त के अधीन कि ऐसी जुर्माना राशि 25,000/– रूपये से अधिक नहीं होगी, दो सौ पचास रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति लगा देगा। तथापि, जनसूचना अधिकारी पर कोई जुर्माना लगाए जाने से पहले उसे अपनी बात को रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। इस बात को साबित करने का भार जनसूचना अधिकारी पर ही होगा कि उसने सोच–विचार कर कार्य किया है और अनुरोध को ठुकराया जाना न्यायसंगत था।

जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

39. यदि किसी शिकायत अथवा अपील पर निर्णय देते समय सूचना आयोग का यह मत होता है कि जनसूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के और लगातार सूचना हेतु किसी आवेदन को प्राप्त करने में कोताही बरती अथवा निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी अथवा दुर्भावनापूर्वक सूचना हेतु अनुरोध अस्वीकार किया अथवा जानबूझकर गलत अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी अथवा अनुरोध के विषय से संबंधित सूचना को नष्ट किया, अथवा सूचना देने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न की,तो वह जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा कर सकता है।

❑❑❑

अध्याय - 02
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन एवं बजटीय प्रावधान

2.01 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15 के अन्तर्गत राज्य में एक सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7–16/1/6/दिनांक 01–10–2005 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 10 दिसम्बर 2017 के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री एम.के.राउत सेवानिवृत भा.प्र.से.को नियुक्त किया गया। उनके द्वारा उन्होंने 13 दिसम्बर 2017 को शपथ लेकर राज्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया गया। श्री एम.के.राउत दिनांक 11.11.2022 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए। आयोग का कार्यालय पूर्व में इन्द्रावती खण्ड,प्रथम तल शास्त्री चौक, रायपुर से संचालित हो रहा था, जिसे 23 अगस्त 2018 से नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर से संचालित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में श्री. ए. के. विजयवर्गीय तत्कालीन मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 07 नवम्बर 2005 से दिनांक 06 नवम्बर 2010 तक तथा श्री सरजियस मिंज दिनांक 01 अप्रैल 2011 से दिनांक 15 मार्च 2016 तक मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे।

श्री अनिल कुमार जोशी दिनांक 22 दिसम्बर 2008 से 21 सितम्बर 2013 तक, श्री एस.के. तिवारी 01 जुलाई 2010 से दिनांक 02 जून 2014 तथा श्री जवाहर श्रीवास्तव दिनांक 25 सितम्बर 2013 से 24 अगस्त 2017 तक आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे। श्री ए.के.सिंह ने दिनांक 05 अगस्त 2014 से 21 जुलाई 2019 तक आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे। श्री मोहन राव पवार दिनांक 29 अक्टूबर 2015 से 28 अक्टूबर 2020 तक राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे। श्री अशोक अग्रवाल 24 नवम्बर 2017 से 23 नवंबर 2022 तक राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे। श्री मनोज त्रिवेदी और धनवेन्द्र जायसवाल 16 मार्च 2021 से राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत है।

2.02 आयोग के लिये राज्य शासन द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त सहित 74 पद स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 20 पद भरे हुए हैं आयोग के लिये स्वीकृत सेट–अप एव भरे हुए पदों की स्थिति परिशिष्ट–1 अनुसार है।

परिशिष्ट - 1

राज्य सूचना आयोग हेतु स्वीकृत राजपत्रित पदों का सेट-अप(अमला)

(31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	मैट्रिक्स/लेबल	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पद
1	मुख्य सूचना आयुक्त	2,25,000	01	0	01
2	सूचना आयुक्त	2,25,000	03	02	01
3	सचिव	वेतन मैट्रिक्स लेवल—17	01	01	0
4	उप सचिव	वेतन मैट्रिक्स लेवल—14	01	0	01
5	अवर सचिव	वेतन मैट्रिक्स लेवल—13	01	01	0
6	स्टाफ आफिसर	वेतन मैट्रिक्स लेवल—13	03	02	01
7	विधि अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल—12	01	0	01
8	लेखाधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल—12	01	01	0
9	जनसम्पर्क अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल—12	01	01	0
10	अनुभाग अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल—10	01	01	0
11	निज सचिव	वेतन मैट्रिक्स लेवल—10	02	01	01
	योग		**16**	**10**	**06**

परिशिष्ट - 1(बी)

राज्य सूचना आयोग हेतु स्वीकृत अराजपत्रित पदों का सेट-अप (अमला)

(31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पद
1	निज सहायक	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09	05	0	05
2	सहायक ग्रेड–01	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09	04	01	03
3	सहायक प्रोग्रामर	वेतन मैट्रिक्स लेवल–09	01	0	01
4	स्टेनो ग्राफर	वेतन मैट्रिक्स लेवल–07	04	01	03
5	सहायक ग्रेड–02	वेतन मैट्रिक्स लेवल–06	04	04	0
6	डाटा एन्ट्री आपरेटर	वेतन मैट्रिक्स लेवल–01	06	0	06
7	सहायक ग्रेड–03	वेतन मैट्रिक्स लेवल–04	07	03	04
8	स्टेनो टाईपिस्ट	वेतन मैट्रिक्स लेवल–04	01	01	0
9	वाहन चालक	वेतन मैट्रिक्स लेवल–04	08	0	08
10	भृत्य	वेतन मैट्रिक्स लेवल–01	15	0	15
11	चौकीदार	वेतन मैट्रिक्स लेवल–01	01	0	01
12	फर्राश	वेतन मैट्रिक्स लेवल–01	02	0	02
	योग		**58**	**10**	**48**

टीप :- उपरोक्त पदों में 42 पद कलेक्टर दर पर भरे हैं।

परिशिष्ट - 2

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर की मांग संख्या -02, मुख्य शीर्ष 2052 सचिवालयीन सेवायें (092) अन्य कार्यालय (6705) राज्य सूचना आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 का माह मार्च 2023 का व्यय पत्रक

क्र.	मद	आवंटन	दिनांक 31 मार्च 2023 तक कुल व्यय राशि
1	**01 - वेतन भत्ते आदि**		
	001–वेतन	3,59,60,000	2,08,45,309
	003–मंहगाई भत्ता	90,00,000	59,65,347
	006–मकान किराया भत्ता	32,65,000	20,99,589
	014–अन्य भत्ते	7,00,000	3,48,086
	015–चिकित्सा व्यय पूर्ति	22,40,000	22,00,880
	020–त्योहार अग्रिम	1,00,000	30,000
	021–घटाईये– वापसियां	–1,00,000	0
	022–अनाज अग्रिम	0	0
	023––घटाईये– वापसियां	0	0
	024–चिकित्सा अग्रिम	1,00,000	0
	025–घटाईये– वापसियां	–1,00,000	0
	योग उद्देश्य -01	**5,11,65,000**	**3,14,89,211**
2	**02 - मजदूरी**		
	005–दैनिक वेतन भोगी	60,00,000	5197754
	योग उद्देश्य -02	**60,00,000**	**5197754**
3	**03 - यात्रा भत्ता**		
	001–यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	4,00,000	2,61,939
	006–अवकाश यात्रा सुविधा	6,00,000	5,88,450
	योग उद्देश्य -03	**10,00,000**	**8,50,389**

क्र.	मद	आवंटन	दिनांक 31 मार्च 2023 तक कुल व्यय राशि
4	**04 - कार्यालय व्यय**		
	001–डाकतार व्यय	15,00,000	11,38,853
	002–दूरभाष व्यय	6,00,000	4,13,701
	003–फर्नीचर एव कार्या. उपकरण	2,00,000	1,92,215
	004–पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	1,00,000	56,975
	005–बिजली एवं जल प्रभार	20,00,000	14,91,324
	007–लेखन सामग्री एवं फर्मों की छपाई	**15,00,000**	**14,45,615**
	008–अन्य आकस्मिक व्यय	**12,00,000**	**9,52,775**
	009–सूचना प्रौद्यौगिकी	9,00,000	8,66,633
	011–पेट्रोल तेल आदि	25,00,000	17,04,961
	013–किराया महसूल कर	0	0
	योग उद्देश्य - 04	**1,05,00,000**	**82,63,052**
5	**05 - प्रशिक्षण**	0	0
	001–अधि./कर्म. का प्रशिक्षण	8,00,000	1,25,000
6	09–विज्ञापन एवं प्रचार	5,00,000	2,15,496
7	10–व्यवसायिक सेवायें हेतु अदाएगी	40,00,000	24,16,938
8	**24 - अनुरक्षण कार्य**	—	—
	001–मोटर गाड़ी	5,00,000	4,85,278
	002–मशीन तथा उपकरण	3,00,000	1,83,646

❑❑❑

अध्याय - 03
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग द्वारा वर्ष में निष्पादित कार्य

3.01 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त अपील एवं शिकायत के निराकरण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सूचना आयोग की है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2022 में इस अधिनियम का व्यापक रूप से क्रियान्वयन करने के लिये बहुआयामी कार्य किये गये।

3.02 प्रशासन अकादमी (निमोरा) रायपुर और ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों) से संबंधित पुस्तिका और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित मार्गदर्शिका का वितरण किया गया।

3.03 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और संयुक्त संचालक के द्वारा वर्ष 2022 में मंत्रालय सहित 14 जिलों में क्रमशः बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, गरियाबंद, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा एवं दुर्ग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं सफल क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसके लिए आयोग द्वारा कुल राशि 7,10,000 रूपये प्रशिक्षण मद से व्यय किये गये।

3.04 आयोग को जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 की स्थिति में कुल 4,457 द्वितीय अपील प्राप्त हुई। गत वर्षो 7,179 द्वितीय अपील के प्रकरण सहित कुल 11,636 द्वितीय अपील प्रकरणों में से कुल 4,232 द्वितीय अपील प्रकरणों का निराकरण किया गया।

इन निराकृत द्वितीय अपील प्रकरणों में रूपये 73,88,250 मात्र (कुल तिहत्तर हजार, अठ्ठासी हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थदण्ड की राशि आरोपित की गई तथा रूपये 39,800 (उनचालीस हजार आठ सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि आवेदको को देने हेतु विभिन्न विभागों को आदेशित किया गया।

3.05 जिलेवार द्वितीय अपील में सर्वाधिक प्रकरण वाले क्रमशः तीन जिले जिसमें सरगुजा जिले ये 563 अपीलें एवं रायपुर जिले से 507 अपीलें तथा रायगढ़ जिले से 494 अपील के प्रकरण प्राप्त हुए। जिलेवार अपील प्रकरणों का विवरण परिशिष्ठ 3.1 पर है।

3.06 विभागवार द्वितीय अपील वर्ष जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक सबसे अधिक आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 1,575 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार वन एवं जनवायु परिवर्तन विभाग की 608 द्वितीय अपील तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित 395 द्वितीय अपील आयोग को प्राप्त हुए हैं। विभागवार द्वितीय अपील का पत्रक परिशिष्ठ 3.2 पर है।

3.07 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को वर्ष 2022 में द्वितीय अपील एवं अन्य शुल्क के रूप में राशि 4,90,574 रूपये मात्र (चार लाख पांच सौ चौहत्तर मात्र) प्राप्त हुआ।

3.08 आयोग को जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 की स्थिति में कुल 3,131 शिकायतें प्राप्त हुई गत वर्षों में 2,636 शिकायत के प्रकरणों सहित कुल 5,767 शिकायत प्रकरणों में से 1,572 शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया गया। परिशिष्ठ 3.3 पर है।

निराकृत शिकायत प्रकरणों से कुल रूपये 40,95,900 (चालीस लाख पन्चानबे हजार नौ सौ रूपये मात्र) अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई तथा शिकायतों पर कुल रूपये 20,100 (बीस हजार एक सौ रूपये मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकों को भुगतान करने के लिये विभागों को आदेशित किया गया।

3.09 राज्य सूचना आयोग को वर्ष 2022 में सबसे अधिक शिकायत तीन जिले में क्रमशः रायगढ़ जिले से 638 और रायपुर जिले से 436 शिकायतें प्राप्त हुई। इसी प्रकार सरगुजा जिला में 328 शिकायतें प्राप्त हुई। नारायणपुर जिले से कोई भी शिकायत आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सूचना आयोग को प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण परिशिष्ठ 3.3 पर है।

3.10 विभागों द्वारा राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत पत्रक के आधार पर वर्ष 2022 में सबसे अधिक 1,635 शिकायतें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्राप्त हुई हैं, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से 235 तथा स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित 202 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभागवार शिकायत प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 3.4 पर हैं।

3.11 राज्य सूचना आयोग को धारा–20(2) के अन्तर्गत शिकायत या अपील की सुनवाई के समय यदि यह विश्वास होता है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अनुरोध को स्वीकार करने में आनाकानी की है तथा सूचनायें समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, या मांगी गई सूचना को नष्ट किया है, या भ्रामक जानकारी दी हो, तो जनसूचना अधिकारी के संबंधित विभाग को विभागीय नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये अनुशंसा की जाती है। वर्ष 2022 में 748 अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

3.12 नागरिकों को आयोग के मुख्यालय तक आने–जाने में परेशानी व अनावश्यक वित्तीय व्यय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा दूरस्थ अंचलों के आवेदकों की सुनवाई वीडियो–कॉफ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में आयोग में चार वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसका उपयोग राज्य के सुदूर क्षेत्रों के जिलों के आवेदकों/शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु निरन्तर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिले के नागरिकों से प्राप्त मुख्यालयों के राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्रों (एन.आई.सी.) में पक्षकारों को बुलाकर की जाती है।

राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को उनका जवाब प्रस्तुत करनें हेतु आयोग द्वारा ईमेल, व्हाट्सअप और फैक्स के माध्यम से भेजने की सुविधा दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का ई–मेल sic.cg@nic.in फैक्स नम्बर 0771–2512102 और व्हाट्सअप नम्बर 94255–02363 पर भेजते हैं।

3.13 पूर्व में आयोग की स्थापना के समय से ही छत्तीसगढ़ शासन की वेब–साईट पर ही सूचना आयोग से संबंधित जानकारी दी जा रही थी। अब आयोग द्वारा स्वयं की वेब–साईट (www.siccg.gov.in) तैयार की गई, जो कि नागरिकों के लिये उपलब्ध है। इस लिंक पर (www.siccg.gov.in) अपीलार्थी / शिकायतकर्ता अपना नाम, प्रकरण क्रमांक और मोबाईल नम्बर दर्जकर अपने प्रकरण की अघतन जानकारी हासिल कर सकते हैं।

3.15 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना के वेबसाईट में वर्ष 2022 तक की जानकारी अद्यतन की जा चुकी है। इसके साथ अन्य विभागों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उनके संबंधित वेबसाईट में भी धारा 4(1)(ख) की जानकारी अपलोड की गई है। विभागों के नाम क्रमशः इलेक्ट्रानिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खनिज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग,उच्च शिक्षा और श्रम विभाग शामिल है।

❑❑❑

अध्याय - 04
अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निष्पादित कार्य

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व राज्य शासन का है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिनियम के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगवाये गये हैं। सभी ग्राम पंचायतो एवं ग्राम सभाओं को निर्देर्शित किया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए। राज्य शासन द्वारा जिले के प्रभारी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय अधिकारियों की बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी समीक्षा करें। इसी प्रकार जिले के कलेक्टरों को समीक्षा बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी समीक्षा करने कहा गया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा जिले में जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये हैं।

ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रमीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) निमोरा में पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों एवं निर्देशों) से संबंधित पुस्तिका और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित मार्गदर्शिका का वितरण किया गया।

4.01 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में वर्ष 2022 में 12,508 लोक प्राधिकारी हैं। धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या 11,289 है। विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वाले लोक प्राधिकारी की संख्या 9,891 है, जिनका विवरण परिशिष्ट 4.1 में दर्शित है।

4.02 राज्य शासन के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022 में उनके द्वारा 18,338 जनसूचना अधिकारियों एवं 9,919 सहायक जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 2022 में 2,320 प्रथम अपीलीय अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत हैं। विभागवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.2 पर दर्शित है।

4.03 विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में 16,832 जनसूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् 4,679 अशासकीय संस्था एवं जन प्रतिनिधियों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.3 में दर्शित है।

4.04 राज्य शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार गत वर्ष के अन्त में 965 आवेदन निराकरण हेतु लंबित थे। जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 1,16,981 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 1,17,946 आवेदनों में से 1,13,310 आवेदन स्वीकार किये गये तथा 3,167 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकार किये गये। वर्ष 2022 के अन्त में 1,469 आवेदन पत्रों का निराकरण हेतु लंबित है। वर्ष 2022 में क्रमशः सबसे अधिक आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 21,927 प्राप्त हुए। गृह विभाग को 17,542 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। राजस्व एव अपदा प्रबंधन विकास विभाग को

10,818 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को 9,590 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विभागवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.4 में दर्शित है।

4.05 राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारियों के समक्ष कुल 73 अपील आवेदन गत वर्ष की लंबित थीं। इस वर्ष 2022 के अन्त में 24,798 अपील आवेदन प्रस्तुत की गई। इस प्रकार कुल 24,871 अपील आवेदनों में से 22,826 अपील आवेदनों को स्वीकार किया गया। 1,226 अपील आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकार की गई। वर्ष 2022 के अंत में 819 अपील आवेदन निराकरण हेतु शेष थी। क्रमशः सबसे अधिक प्रथम अपील पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 10,548 प्राप्त हुई। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 3,782 अपील आवेदन प्राप्त हुआ। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 1,680 अपील तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को 1,497 अपील आवेदन प्राप्त हुआ है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.5 पर प्रदर्शित है।

4.06 आयोग द्वारा वर्ष 2022 में निराकृत अपील और शिकायत के प्रकरणों में कुल 69,900 रूपये मात्र (उनसठ हजार नौ सौ रूपये मात्र) आवेदकों को क्षतिपूर्ति प्रदाय करने हेतु विभागों को आदेश किये गये। कुल रूपये 1,14,84,150 मात्र (एक करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार एस सौ पचास रूपये मात्र) का अर्थदण्ड अपील एवं शिकायत के प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों पर आरोपित किया गया। आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(2) के तहत् अपील और शिकायत के 748 प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.6 पर प्रदर्शित है।

4.07 राज्य शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1),धारा 7(1)एवं धारा 7(5) के अन्तर्गत आवेदन एवं अभिलेख शुल्क के रूप में कुल रूपये 45,71,428 मात्र (पैतालिस लाख इखत्तर हजार चार सौ अठ्ठाईस मात्र) में प्राप्त हुई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.7 पर प्रदर्शित है।

4.08 आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबी रेखा के नीचे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 1,16,981 में से 81,862 आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र से तथा 34,119 आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र से वर्ष 2022 में प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में से 2,285 आवेदन गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारियों से, 9662 आवेदन अनुसूचित जाति के आवेदकों से तथा 8,721 आवेदन अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से प्राप्त हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के 34,709 आवेदकों और 61,598 अन्य वर्ग के आवेदकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.8 पर प्रदर्शित है।

4.09 आयोग द्वारा वर्ष 2022 में प्राप्त आवेदनों में शासकीय सेवक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिलाओं की संख्या की समीक्षा की गई। विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022 में प्राप्त कुल 1,16,981 आवेदनों में से 6,154 शासकीय सेवकों, 20,120 पत्रकारों 8,664 सामाजिक कार्यकताओं, 10,616 महिलाओं के द्वारा तथा 71386 अन्य आवेदकों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदन किये गये। इसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.8 पर प्रदर्शित है।

❑❑❑

अध्याय - 05
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोग की अनुशंसा

5.01 यह देखने में आया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील के लिये निर्धारित अवधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया जा रहा है और कई मामलों में प्रथम अपील के आदेश के पालन में जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। आयोग द्वारा शासन के समस्त विभागों को निर्देश दिया जाकर क्रियान्वयन कराए जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आदेशों के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा के निर्देश भी विभाग प्रमुखों को दिया जाना उचित होगा। शासन के समस्त विभागों को निर्देशित किया जाना उचित होगा कि अपने कार्यालय के दस्तावेजों का संधारण व्यवस्थित रखें, ताकि सूचना का अधिकार के तहत् मांगे जाने पर शीध्र उपलब्ध कराया जा सके।

5.02 छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि शासन के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करें कि प्रथम अपीलीय अधिकारी /जनसूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में समय–समय पर सतत् प्रशिक्षण प्रदान किया जाये,ताकि प्राप्त आवेदन /अपीलों का निराकरण नियमानुसार समय सीमा में किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् आवेदनों की संख्या को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं नगरीय निकाय, विकास विभाग के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों का विशेष रूप से प्रशिक्षण कराये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5.03 छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन के समस्त विभागों को निर्देशित करें, कि अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न किये गये भारतीय पोस्टल ऑर्डर शुल्क का नगदीकरण शासन के पक्ष में निर्धारित शीर्ष पर समय सीमा में जमा करायें।

5.04 सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग.शासन के द्वारा समय–समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में समस्त विभागों निर्देश जारी किया गया है। शासन के समस्त विभाग को जारी किये गये ऐसे निर्देशों को एकजाई कर पुनः भेजे जाने की अनुशंसा की जाती है,जिससे कार्यालय में पदस्थ नये अधिकारी/कर्मचारियों को जानकारी मिल सके। ऐसे समस्त निर्देशों को सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट पर भी प्रकाशित करने की अनुशंसा की गई है।

5.05 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में प्रत्येक प्रशासकीय विभाग से उनके द्वारा की गई कृत्य, उनके पास धारित अभिलेख, उनके अधिकार/कर्मचारियों के बारे में समस्त जानकारी को प्रकाशित करना तथा इन प्रकाशन को प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने का प्रावधान है, जिसे अधिनियम के पारित होने के 120 दिवस के भीतर किया जाना था। छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना का अधिकार 4(1)(ख) के निर्देशों का पालन करने के लिये उचित निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5.06 आयोग के पास प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरणों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों में जिला तथा तहसील कार्यालयों में अभिलेखों का संधारण शासन से जारी निर्देशों के अनुसार नहीं हो रहा है। विशेष कर नगरीय प्रशासन कार्यालयों में अभिलखों का संधारण कराने में अधिक ध्यान देना आवश्यक है। आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा की जाती है। कि समस्त विभाग को शासन के द्वारा अभिलेखों के संधारण करने के लिये जारी की गई निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये तथा प्रति वर्ष विभागाध्यक्ष से पालन प्रतिवेदन प्राप्त करें।

5.07 अधिनियम की धारा 19(8)(ख), 20(1) एवं 20(2) के तहत् छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा जनसूचना/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर अमल करने हेतु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों को निर्देशित किया जाये। राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत जो अर्थदण्ड लगाया जाता है,उसकी वसूली के बारे में कोई समुचित निर्देश राज्य शासन के द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। अतः अनुशंसा की जाती है कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समुचित निर्देश जारी किया जाये।

5.08 छ.ग.सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1317/2005/1/6/रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त आवेदन–पत्रों की प्रविष्टि के संबंध में पंजी संधारण का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिस पर समुचित प्रविष्टि नहीं होने के कारण वर्तमान जनसूचना अधिकारी एवं बाद में पदस्थ जनसूचना अधिकारी को दायित्व निर्वहन करने में अज्ञानता होना पाया जाता है। इस पंजी का संधारण अनिवार्यतः किया जाकर अन्य अभिलेखों के हस्तांतरण जैसे इस पंजी एवं संबंधित दस्तावेजों का हस्तांरण किया जाना आवश्यक है।

प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिये भी शासन से भी पत्र क्रमांक एफ.2–27/2006/1–6/रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2006 द्वारा पंजी संधारण का प्रारूप नियत किया गया है, जिसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर प्रत्येक माह पीठासीन अधिकारी को अनिवार्यतः समीक्षा करना चाहिए।

5.09 भारत सरकार के समस्त विभागों द्वारा एवं कुछ राज्यों में ऑनलाईन वेबपोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदक जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही अधिनियम के तहत् वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं कोविड–19 प्रोटोकॉल के चलते सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन वेबपोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सर्वोत्तम होगा। तत्संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 11/8/2020, पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 29/9/2020 और छ.ग.राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 650/स्था./छगरासूआ/2021 रायपुर, दिनांक 03 जून 2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लिये वेबपोर्टल बनाकर आवेदन प्राप्त करने तथा ऑनलाईन शुल्क जमा करने का कार्य शीघ्र करने की अनुशंसा की गई है।

जिस पर छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा द्वारा एन.आई.सी के सहायोग से आम जनता की सुविधा हेतु दिनांक 11/10/2022 को श्री एम. के. राउत, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य की उपस्थिति में सचिव श्री अमिताभ जैन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हेतु वेबपोर्टल rtionline.cg.gov.in का शुभांरभ किया गया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के द्वारा पत्र क्रमांक एफ–7/1/2021/1–13, रायपुर दिनांक 29.01.2022 जारी कर उक्त आर.टी.आई पोर्टल में पदनामित जनसूचना अधिकरी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्व–पंजीयन किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके उपरांत छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर स्मरण पत्र दिनांक 02.02.2022, 07.03.2022 13.04.2022, 08.06.2022, 03.08.2022, 17.10.2022 एवं 21.11.2022,जारी किये गये है। उक्त वेबपोर्टल के प्रारंभ होने पर आवेदक ऑनलाईन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील समस्त समक्ष प्रेषित कर सकेंगे।

उक्त पोर्टल में सर्वप्रथम जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्व पंजीयन किया जा रहा है। आवेदक ऑनलाईन आवेदन भी प्रारंभ कर चुके है। वेब पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.12.2022 तक कुल 779 जनसूचना अधिकारी तथा 463 प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा स्व–पंजीयन किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1381 जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। कुल 181 प्रथम अपील आवेदन प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपील के 14 आवेदन जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील होने के बाद ऑनलाईन के माध्यम से तथा 60 द्वितीय अपील आवेदन आयोग के समक्ष सीधे ऑनलाईन प्राप्त हुए।

5.10 आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा तीन राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। एन.आई.सी. के द्वारा आयोग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में प्रतिदिन कार्य सूची में सम्मिलित प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण नहीं होती है। अतः एन.आई.सी. से पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक समय निधारित किया जावे। प्रायः उक्त अवधि में जिलों में किसी अन्य विभाग की विडियों कॉन्फ्रेसिंग चल रही होती है। अतः समस्त एन.आई.सी. सेन्टर में एक अतिरिक्त वीडियों कॉन्फ्रेसिंग सेट लगाये जाने की अनुशंसा की जाती है।

शासन से अनुरोध है कि इस सुझावों के साथ–साथ पूर्व के लंबित अनुशंसा पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर आयोग को भी अवगत कराया जाये।

5.11 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में मिले उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आम जनता को इसके नियमों की जानकारी देने हेतु प्रचार–प्रसार किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रायः देखने में आ रहा है कि आवेदक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करने के पश्चात् जानकारी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास न जाकर सीधे आयोग में शिकायत करते हैं, जिससे प्रक्रिया का पालन नहीं हो पा रहा है।

ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि द्वितीय अपील में आयोग के द्वारा पारित किये गये आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी के पास न जाकर अपीलार्थी सीधे आयोग में शिकायत के लिए आते हैं, जिससे आयोग में शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है।

जबकि अपीलार्थी को चाहिए कि वह जनसूचना अधिकारी से उत्तर प्राप्त नहीं होने अथावा संतुष्ट नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करें और प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास निराकरण नहीं होने की स्थिति में अथवा वांछित सूचना प्राप्त नहीं की स्थिति में आयोग में द्वितीय अपील हेतु आवेदन प्रस्तुत/प्रेषित करें। आयोग के आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी जनसूचना अधिकारी की है।

यदि जनसूचना अधिकारी आयोग के निर्देश का पालन नहीं करा पा रहा है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के ध्यान में यह बात लायी जानी चाहिए और उस स्तर पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में इस आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इस संबंध में शासन स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

❏❏❏

अध्याय - 06
सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की अनुशंसाओं पर शासन की कार्यवाही

वर्ष 2005—2006 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय—6 तथा वर्ष 2007,2008,2009,2010 वर्ष 2011 और वर्ष 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय—5 में आयोग द्वारा शासन को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा वर्ष 2011 और 2019 एवं 2021 के सुझाव पर कार्यवाही समस्त विभागाध्यक्षों,समस्त संभागीय आयुक्तों और समस्त जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। वर्ष 2011 और 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में शासन को दिये गये पन्द्रह में से पन्द्रह सुझावों पर कार्यवाही निम्नानुसार है :—

6.01 राज्य के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई दौरान यह बात ध्यान में आयी है कि जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सही निराकरण नहीं कर पातें। नये—नये अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी पदनामित करने पर सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी के अभाव में अधिकारी अपीलार्थी को अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इस संबंध में जिलों एवं संभागों में पदस्थ विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे उनकी कार्य प्रणाली में सुधार आये एवं अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी के स्तर पर से सही एवं सटीक सूचना प्राप्त हो सके। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर पिन कोड 492002 क्रमांक एफ. 11—1/2013/आर.टी.टाई/सूअप्र., रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है। आयोग द्वारा 14 जिलों में प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए 7.10 लाख उपलब्ध कराये गये है। सभी संभाग स्तर पर एवं विभाग प्रमुखों द्वारा प्रशासन के निर्देशानुसार समय—समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें, इसके लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित हेतु राज्य सूचना आयोग द्वारा जिलों में राशि आबंटित भी की जाती है। आबंटित राशि का सदुपयोग करते हुए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

6.02 जिला एवं संभागीय स्तर पर समय—समय पर आयुक्तों, कलेक्टरों एवं अन्य विभाग प्रमुखों के द्वारा जिला स्तरीय एवं संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। संबंधित विभाग प्रमुखों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आयोजित बैठकों में सभी संबंधित विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें कितने आवेदनों को निराकरण किया गया है,उसकी जानकारी लें। साथ ही कार्यालय के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11—1/ 2013/ आर.टी.आई./सुअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये

गये है। समस्त कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6.03 प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विभागों में रिकार्ड संधारण टीम से नहीं होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को द्वितीय अपील में आयोग के समक्ष आना पड़ता है। जिससे उनके समय एवं राशि का अनावश्यक व्यय होता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई. /सुअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छ.ग. को निर्देश दिये गये हैं। जिसका शत–प्रतिशत पालन किया जाना चाहिए।

6.04 आयोग के निर्देश के बावजूद विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 4(1)(ख) के तहत् जानकारी वेबसाईट पर अपडेट नहीं की जा रही है। तत्संबंध में सभी विभागों को पुनः शासन स्तर से निर्देश जारी किया जाना उचित होगा।

कार्यवाही :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र., रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छ.ग. को निर्देश दिये गये है। विभागों को निर्देश दिये गये हैं, कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत् प्रतिवर्ष जानकारी अद्यतन किया जाकर वेबसाईट में अपलोड करें।

6.05 आयोग में प्राप्त अपील/शिकायत प्रकरणों में आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जाता। आयोग ने इसी गंभीरता से लिया है। शासन से यह अपेक्षा है कि वे समस्त विभागों को पृथक से निर्देश जारी करें कि आयोग के आदेशों का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जावे। जिन प्रकरणों में आयोग द्वारा जनसूचना अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की जाती है, उन प्रकरणों में शास्ति संबंधित अधिकारी द्वारा शीध्र जमा कराने की व्यवस्था कराने के निर्देश विभाग प्रमुखों को दिये जावे। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2–19/2006/1/6 दिनांक 27.07.2007 में स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वारा क्षर्तिपूर्ति की मांग,सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पायी जाती है तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाये तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्यवाही करे। शीघ्र अमल कराया जाकर पालन प्रतिवेदन आयोग व विभाग प्रमुखों को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

कार्यवाही :- छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र.,रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है।

6.06 आवेदकों द्वारा आयोग को यह भी जानकारी दी जाती है कि विभागों द्वारा आवेदन के साथ देय राशि नगद रूप में जमा करने के संबंध में आनाकानी की जाती है, जिससे आवेदकों को व्यर्थ ही भटकना पड़ता है। अतः सभी विभागों को यह भी निर्देश जारी किये जायें,कि कार्यालयों में सीजीटीसी–6 रसीद बुक अनिवार्य रूप से रखी जावे, ताकि आवेदकों को नगद शुल्क जमा करने में कठिनाई का

सामना करना नहीं पड़े।

कार्यवाही :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र.,रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है।

6.07 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार प्रसार–तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि सामान्य जिलों की अपेक्षा आदिवासी बाहुल्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कम हुआ है।

अतः जिला प्रशासन क्षेत्रीय बोली में हाट बाजार,मेला मड़ई के अवसर पर सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार कराएं। प्रचार–प्रसार के लिये लोक नाट्य, लोक संगीत जैसे साधनों को अपनाया जाना चाहिये।

कार्यवाही :- छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र.,रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है।

6.08 सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ''अनुश्रवण समिति'' का गठन किया जाना उचित होगा, जिसमें महानिदेशक पुलिस,सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, नगरीय प्रशासन विभाग, लोक निर्माण, वन विभाग,वन तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव सदस्य हो। जिला स्तरीय समिति के गठन हेतु पूर्व में प्रस्तुत सुझावों पर भी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

कार्यवाही :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र., रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है।

6.09 यदि किसी जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी के पास अथवा अपील/शिकायत आयोग या प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां आवेदन लंबित हो तो उससे संबंधित रिकार्ड अंतिम निराकरण तक विनिष्ट नहीं किया जाये, भले ही विनिष्टिकरण की अवधि समाप्त हो रही हो। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी किया जाना उचित होगा।

कार्यवाही :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ.11–1/2013/आर.टी.आई./सूअप्र., रायपुर दिनांक 27 अप्रैल 2013 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है।

6.10 जब कोई आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् विहित शुल्क की राशि मनी आर्डर के माध्यम से जमा करता है, तो शुल्क की राशि आवेदक/अपील आवेदन के साथ संलग्न कर जमा नहीं हो पाती है। मनी आर्डर से भेजी शुल्क की राशि बाद में प्राप्त होती है, लेकिन इसी बीच प्राप्त हुए आवेदन/अपील को विहित शुल्क प्राप्त न होने के आधार पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है,जिसके फलस्वरूप आवेदक को अनावश्यक रूप से राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत

करनी पड़ती है।

कार्यवाही :- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर पिन कोड 492002, क्रमांक एफ. 11–1/2019/1–13, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2019 द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर (छ.ग.) को निर्देश दिये गये है। विभाग/कार्यालय मे नियुक्त समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को युक्तियुक्त निर्देश जारी करें कि जब विहित शुल्क की राशि मनी आर्डर से प्राप्त हो, उसी दिन से अनुरोध पत्र का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये। अतः ऐसे मामलों में आवेदन को निरस्त करने के बजाए जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा एक निश्चित समय (10 दिवस) तक शुल्क की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जाये,ताकि प्रावधानों की मंशा पूर्ण हो सके।

6.11 छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग को छ.ग. राज्य सूचना आयोग का पत्र क्रमांक 784/स्था./छ.ग.रासूआ./2021 रायपुर, दिनांक 28 जून 2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् पोस्टल आर्डर के रूप में प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि को पोस्ट ऑफिस से प्राप्त राशि को अन्य सेवायें,लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां में चालान के माध्यम से शासन के मद मे जमा करावें। समस्त विभाग को निर्देशित किया जाये कि प्रति माह जमा होने वाले शुल्क का विवरण कार्यालय में संधारित करें।

कार्यवाही :- छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक 1548/जी–674/2021/1–13, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021 द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,समस्त कलेक्टर, समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ को विभागों को निर्देश दिये गये हैं, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् पोस्टल आर्डर के रूप में प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि को पोस्ट ऑफिस से प्राप्त राशि को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् बताए गए मुख्य शीर्ष–0070–उप–मुख्य शीर्ष–(60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां में चालान के माध्यम से शासन के मद में जमा कराएं और समस्त विभाग को निर्देशित किया गया है कि प्रतिमाह जमा होने वाले शुल्क का विवरण कार्यालय में संधारित करें।

6.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के तहत् विभागों द्वारा विभागीय जानकारी वेबसाईट पर अपलोड करना एवं प्रतिवर्ष जानकारी को अघतन किये जाने के संबंध में सभी विभागों को पुनः शासन स्तर से निर्देश जारी किया जाना उचित होगा।

कार्यवाही :- छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक एफ 7–6/2005/1–13, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.07.2019 द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) छ.ग. शासन, मंत्रालय को निर्देश किये गये हैं, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधान अनुसार अधिनियम से 120 दिन के भीतर समस्त विभाग/लोक प्राधिकरण द्वारा जारी नियम निर्देशों की जानकारी/सूचना सीधे आम जनता/पदाधिकारियों (Stakeholder) हेतु

कम्प्यूटरीकरण कर, विभाग की वेबसाईट में प्रकाशित की जानी थी एवं उन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन भी किया जाना है। अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भित पत्र के अनुसार अभी भी बहुत से विभागों द्वारा विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/अद्यतन नहीं जा रही है। उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) का राज्य शासन से पालन कराने हेतु एक जनहित याचिका क्रमांक डब्लूपी (पी.आई.एल.) 35/2012 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.09.2012 को आदेश पारित किया है तथा धारा 4(1)(ख) का पालन लोक प्राधिकारी द्वारा कराये जाने हेतु छह माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है। शासन के समस्त विभाग द्वारा धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों का पालन प्रतिवेदन नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग को भेजा जाना है। चूंकि यह कार्यवाही अधिनियम के अनुसार बाध्यकारी है एवं मान. न्यायालय के आदेशानुसार भी क्रियान्वयन आवश्यक है।

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक एफ 7–6/2005/1–13, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.07.2019, स्मरण पत्र 22 अक्टूबर 2019, 10 फरवरी 2020 के परिपालन में शासन के 11 विभागों द्वारा धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों का पालन कर विभाग की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/अद्यतन कर लिये गये हैं।

जिन विभागों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधान अनुसार विभाग की जानकारी विभाग की वेबसाईट में अपलोड कर दी गई है, उनमें इलेट्रानिक्स एवं सूचना प्रौघोगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खनिज विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा, उच्च शिक्षा विभाग और श्रम विभाग शामिल हैं। शेष विभागों के द्वारा यह कार्यवाही किया जाना है।

6.13 आयोग के पत्र क्रमांक 2309/स्था/छगरासूआ/19, रायपुर दिनांक 22.12.2019 के द्वारा सूचना के अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम 2005 के नियम 3 एवं 4 में संशोधन करने हेतु ''ई–स्टाम्प'' शब्द जोड़े जाने की अनुशंसा की गई थी।

कार्यवाही :- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना दिनांक 06.01.2021 के द्वारा शुल्क एवं विनियमन का संशोधन करते हुए 3 एवं 4 में नॉन–ज्यूडिशियल के पूर्व ई–स्टाम्प शब्द जोड़ा गया है।

जिन विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के क्रियान्वयन किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है :—

क्र.	विभाग का पत्र क्रमांक	विभाग का नाम
1	एफ 2—8ए / 2013 / 56 / इ.सू.प्रौ., दिनांक 26.12.2020	छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रानिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,मंत्रालय
2	क्र. 10 / 59 आर.टी.आई. / 2020 / 30 / स. दिनांक 06.01.2021	छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय
3	क्र. 19 / 786 / 2020 / चौबीस दिनांक 11.01.2021	छत्तीसगढ़ शासन,जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय
4	क्र. 422 / 2122 / 2020 / वा.क्र.(सम) पांच दिनांक 29.01.2021	छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय
5	क्र. 3655 / 2018 / मवाबि / 20 दिनांक 22.02.2021	छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय
6	एफ. 14—11 / 2019 / 24—2 / 2322 दिनांक 30.12.2019	छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय
7	एफ. 7—88 / 2007 / 12 दिनांक 06.02.2020	छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय
8	क्र. 970 / 500 / 2020 / 1—2 दिनांक 18.03.2020	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
9	क्र. एल.एफ.ए. / सूअ / 2020 / 93 दिनांक 26.05.2020	संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा नवा रायपुर
10	क्र. 1794 / 4513 / सां.2018 / 38—1 दिनांक 15.06.2020	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
11	क्र. 1690 / 1829 / 2019 / 16 दिनांक 06.07.2020	छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय

परिशिष्ट 3.1

राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत अपीलों का जिलेवार विवरण
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में)

क्र.	जिला	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	गतवर्ष के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत अपील की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	549	507	1056	423	98	521	535
2	बलौदाबाजार	82	66	148	52	8	60	98
3	गरियाबन्द	61	44	105	33	10	43	62
4	महासमुंद	333	271	604	232	38	270	334
5	धमतरी	49	55	104	22	5	27	77
6	दुर्ग	388	139	527	143	5	148	379
7	बालोद	43	27	70	42	5	47	23
8	बेमेतरा	48	31	79	41	6	47	32
9	राजनांदगांव	451	165	616	238	3	241	375
10	कबीरधाम	359	221	580	146	0	146	434
11	बिलासपुर	308	198	506	201	12	213	293
12	कोरबा	441	182	623	229	7	236	387
13	रायगढ़	2330	494	2824	1081	11	1092	1732
14	मुंगेली	39	14	53	22	1	23	30
15	जांजगीर–चाम्पा	226	338	564	154	125	279	285
16	गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	7	78	85	9	1	10	75
17	सरगुजा	579	563	1142	241	27	268	874
18	कोरिया	256	299	555	141	5	146	409
19	जशपुर	26	21	47	9	2	11	36
20	बलरामपुर	108	75	183	43	7	50	133
21	सूरजपुर	35	81	116	18	31	49	67
22	बस्तर	102	157	259	52	16	68	191
23	कांकेर	156	335	491	112	47	159	332
24	कोण्डागांव	8	41	49	2	9	11	38
25	सुकमा	10	9	19	4	0	4	15
26	नारायणपुर	129	0	129	7	0	7	122
27	बीजापुर	18	10	28	12	5	17	11
28	दंतेवाड़ा	31	16	47	10	0	10	37
29	राज्य के बाहर	37	20	57	27	2	29	28
	योग	**7179**	**4457**	**11636**	**3746**	**486**	**4232**	**7404**

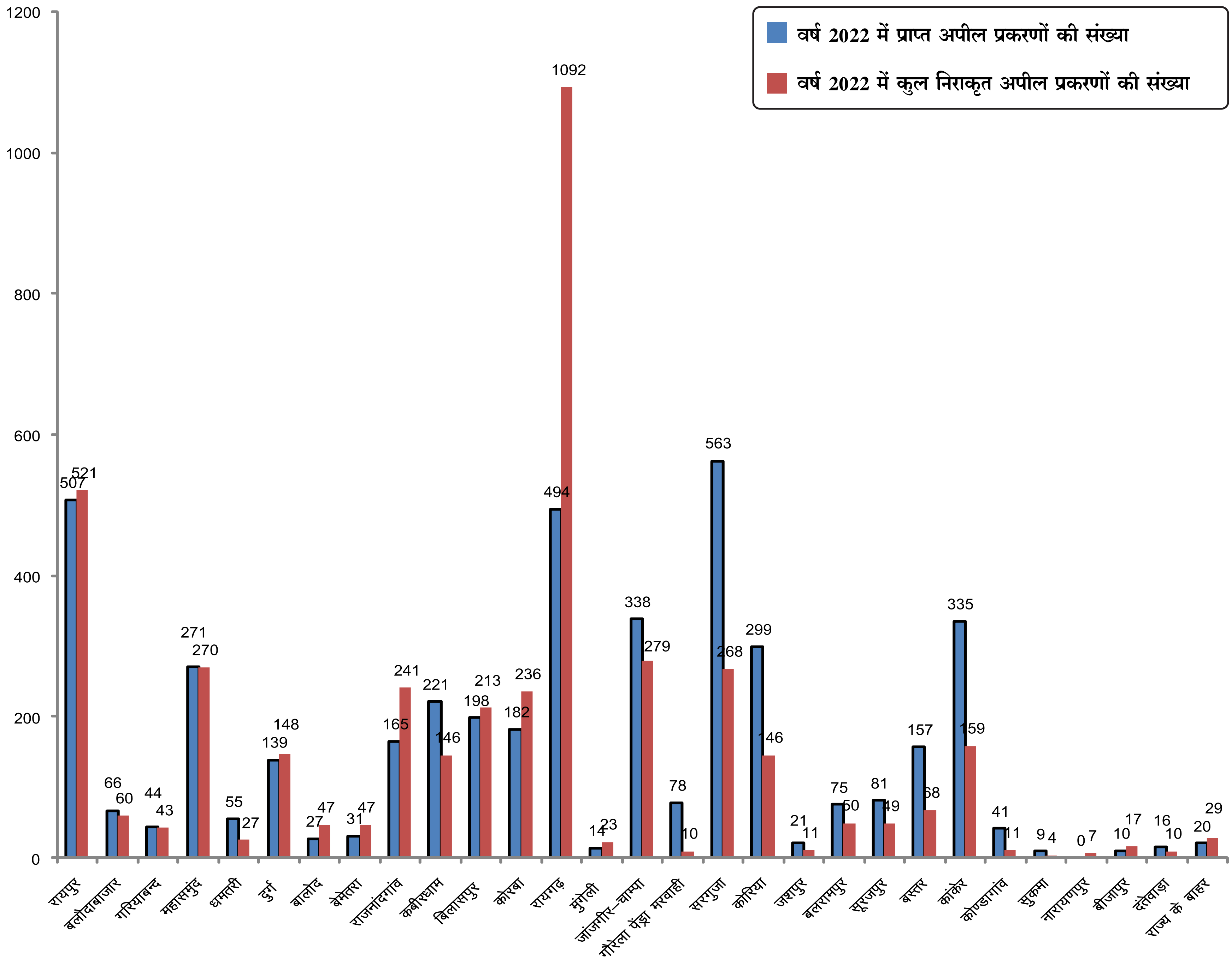
वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या
वर्ष 2022 में कुल निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या
1200
1000
800
600
400
200
0
रायपुर 507 521
बलौदाबाजार 66 60
गरियाबन्द 44 43
महासमुंद 271 270
धमतरी 55 27
दुर्ग 139 148
बालोद 27 47
बेमेतरा 31 47
राजनांदगांव 165 241
कबीरधाम 221 146
बिलासपुर 198 213
कोरबा 182 236
रायगढ़ 494 1092
मुंगेली 14 23
जांजगीर–चाम्पा 338 279
गौरेला पेंड्रा मरवाही 78 10
सरगुजा 563 268
कोरिया 299 146
जशपुर 21 11
बलरामपुर 75 50
सूरजपुर 81 49
बस्तर 157 68
कांकेर 335 159
कोण्डागांव 41 11
सुकमा 9 4
नारायणपुर 0 7
बीजापुर 10 17
दंतेवाड़ा 16 10
राज्य के बाहर 20 29

परिशिष्ट 3.2

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त अपीलों का विभागवार विवरण
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

क्रं.	विभाग	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	गतवर्ष के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत अपील की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	79	130	209	45	3	48	161
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	18	10	28	0	0	0	28
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	35	26	61	17	5	22	39
4	संस्कृति विभाग	14	0	14	10	0	10	4
5	सहकारिता विभाग	57	38	95	40	0	40	55
6	वित्त विभाग	8	6	14	9	1	10	4
7	योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	1	0	1	0	0	0	1
8	वाणिज्य कर विभाग	9	29	38	11	2	13	25
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	12	2	14	4	0	4	10
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	12	4	16	8	0	8	8
11	ऊर्जा विभाग	122	170	292	70	31	101	191
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	45	50	95	29	8	37	58
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	471	608	1079	261	39	300	779
14	सामान्य प्रशासन विभाग	91	39	130	58	11	69	61
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	230	145	375	102	21	123	252
16	उच्च शिक्षा विभाग	198	171	369	97	11	108	261
17	गृह एवं जेल विभाग	230	114	344	122	19	141	203
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	19	15	34	6	6	12	22
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	28	3	31	18	1	19	12
20	श्रम विभाग	22	8	30	14	1	15	15
21	खनिज साधन विभाग	3	30	33	2	1	3	30
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3642	1575	5217	1838	186	2024	3193
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	19	20	39	13	0	13	26
24	लोक निर्माण विभाग	83	57	140	41	4	45	95
25	जनसंपर्क विभाग	9	7	16	6	2	8	8

क्र.	विभाग	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	गतवर्ष के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत अपील की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	505	395	900	277	40	317	583
27	पुनर्वास, विभाग	1	2	3	0	0	0	3
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	3	0	3	2	0	2	1
29	ग्रामोद्योग विभाग	3	3	6	0	0	0	6
30	स्कूल शिक्षा विभाग	274	156	430	137	11	148	282
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	68	52	120	30	19	49	71
32	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	4	1	5	0	0	0	5
33	कौशल विकास,तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	41	23	64	29	10	39	25
34	विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग	0	0	0	0	0	0	0
35	पर्यटन विभाग	4	2	6	1	0	1	5
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	403	354	757	221	21	242	515
37	जल संसाधन विभाग	58	66	124	31	1	32	92
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	10	73	83	56	2	58	25
39	समाज कल्याण विभाग	282	44	326	112	29	141	185
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	65	27	92	28	0	28	64
42	विमानन विभाग	0	2	2	0	1	1	1
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	0	0	0	0	0	0
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	1	0	1	1	0	1	0
47	राज्य के बाहर	0	0	0	0		0	0
योग		**7179**	**4457**	**11636**	**3746**	**486**	**4232**	**7404**

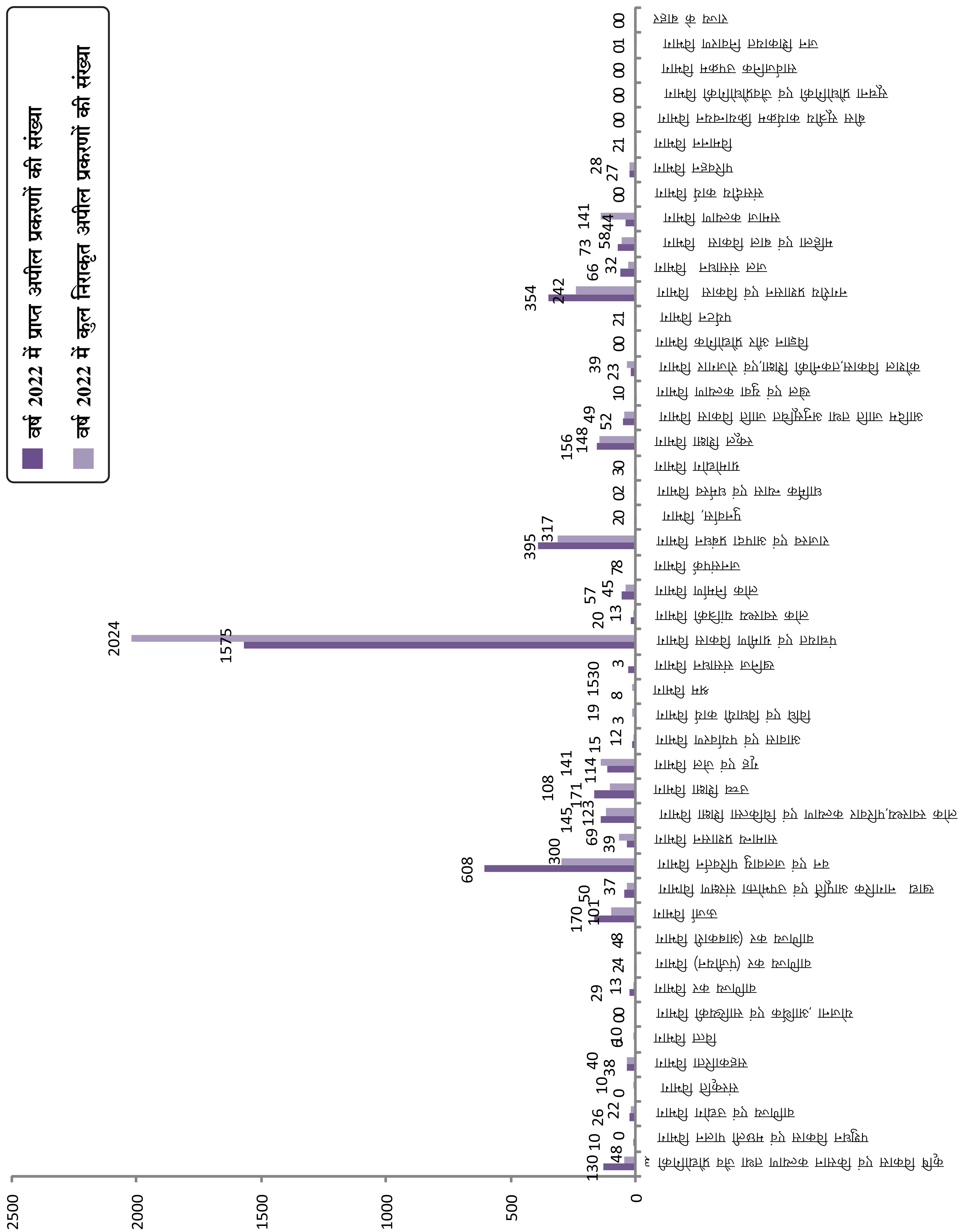
वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या
वर्ष 2022 में कुल निराकृत अपील प्रकरणों की संख्या

परिशिष्ट 3.3

राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत शिकायतों का जिलेवार विवरण
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

क्र.	जिला	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त शिकायत प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)-	गतवर्षो के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत शिकायत प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत शिकायत की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	292	437	729	156	48	204	525
2	बलौदाबाजार	8	22	30	3	1	4	26
3	गरियाबन्द	5	3	7	3	1	4	3
4	महासमुंद	114	274	388	64	22	86	302
5	धमतरी	17	7	24	10	1	11	13
6	दुर्ग	195	107	302	94	4	98	204
7	बालोद	86	255	341	63	7	70	271
8	बेमेतरा	20	24	44	15	0	15	29
9	राजनांदगांव	154	82	236	113	12	125	111
10	कबीरधाम	8	17	25	3	2	5	20
11	बिलासपुर	321	292	613	178	14	192	421
12	कोरबा	66	17	83	42	3	45	38
13	रायगढ़	709	636	1345	238	13	251	1094
14	मुंगेली	2	6	8	2	0	2	6
15	जांजगीर–चाम्पा	108	267	375	77	20	97	278
16	गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	9	14	23	5	1	6	17
17	सरगुजा	191	328	519	128	2	130	374
18	कोरिया	32	28	60	19	0	19	41
19	जशपुर	0	1	1	1	0	1	0
20	बलरामपुर	9	10	19	4	0	4	15
21	सूरजपुर	8	4	12	4	0	4	8
22	बस्तर	59	143	199	34	6	40	159
23	कांकेर	189	134	323	134	0	134	189
24	कोण्डागांव	6	4	10	7	0	7	3
25	सुकमा	0	2	2	0	0	0	2
26	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0
27	बीजापुर	9	3	12	5	0	5	7
28	दंतेवाड़ा	3	2	5	1	0	1	4
29	राज्य के बाहर	16	12	28	7	1	8	20
	योग	**2636**	**3131**	**5767**	**1410**	**158**	**1568**	**4199**

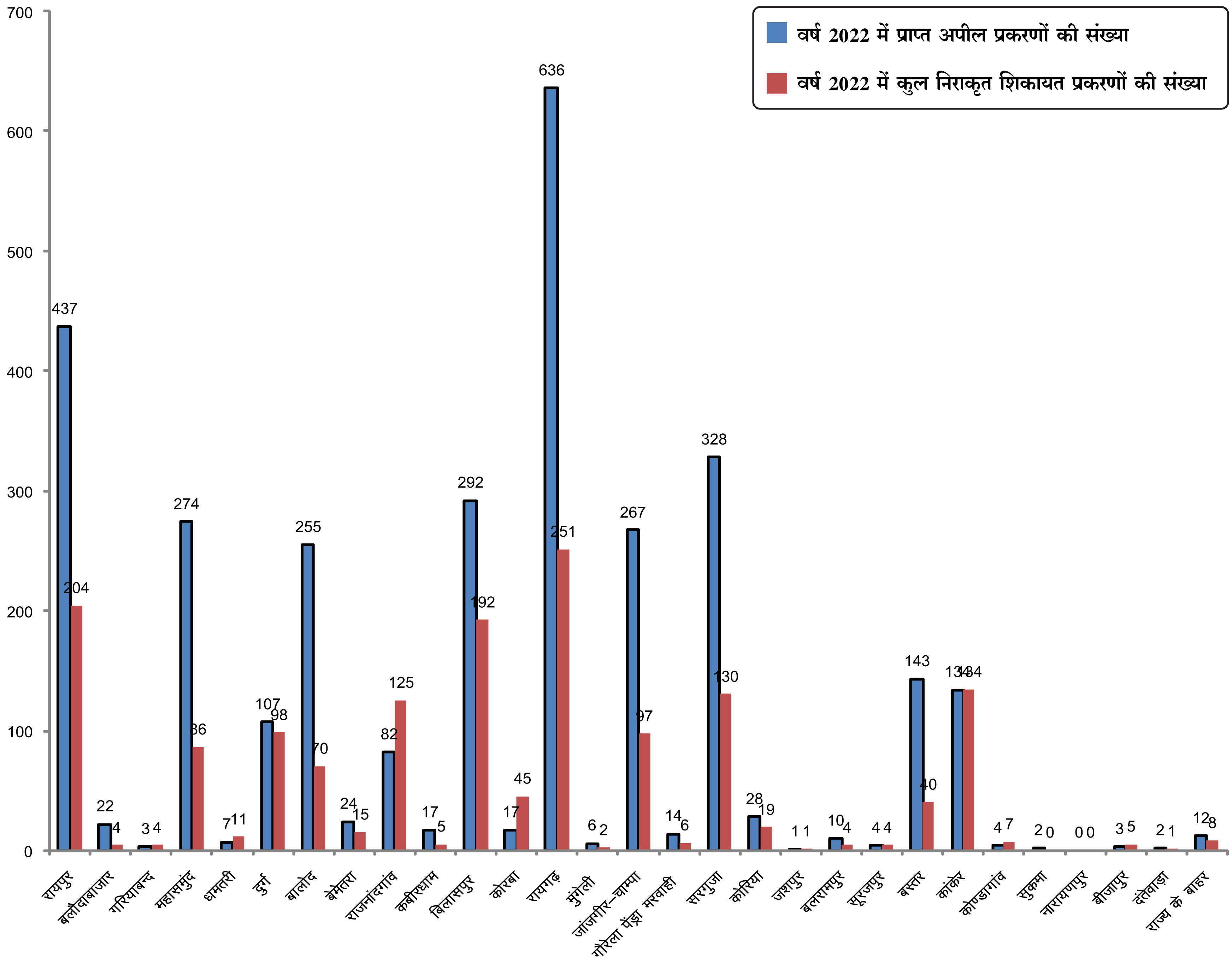
वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या
वर्ष 2022 में कुल निराकृत शिकायत प्रकरणों की संख्या
0
100
200
300
400
500
600
700
रायपुर 437 204
बलौदाबाजार 22 4
गरियाबन्द 3 4
महासमुंद 274 86
धमतरी 7 11
दुर्ग 107 98
बालोद 255 70
बेमेतरा 24 15
राजनांदगांव 82 125
कबीरधाम 17 5
बिलासपुर 292 192
कोरबा 17 45
रायगढ़ 636 251
मुंगेली 6 2
जांजगीर–चाम्पा 267 97
गौरेला पेंड्रा मरवाही 14 6
सरगुजा 328 130
कोरिया 28 19
जशपुर 1 1
बलरामपुर 10 4
सूरजपुर 4 4
बस्तर 143 40
कांकेर 134 134
कोण्डागांव 4 7
सुकमा 2 0
नारायणपुर 0 0
बीजापुर 3 5
दंतेवाड़ा 2 1
राज्य के बाहर 12 8

परिशिष्ट 3.4

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरण
(जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 की स्थिति में)

क्रं.	विभाग	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त शिकायतों प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	गतवर्ष के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत शिकायतों प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत शिकायतों की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	26	26	52	33	2	35	17
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	16	1	17	0	0	0	17
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	5	2	7	2	2	4	3
4	संस्कृति विभाग	30	2	32	29	0	29	3
5	सहकारिता विभाग	33	17	50	19	1	20	30
6	वित्त विभाग	0	3	3	0	1	1	2
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	1	0	1	0	0	0	0
8	वाणिज्य कर विभाग	0	1	1	0	0	0	1
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	0	0	0	1	0	1	0
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	6	1	7	5	0	5	2
11	ऊर्जा विभाग	39	64	103	21	6	27	76
12	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	31	31	62	22	2	24	38
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	93	175	268	52	33	85	183
14	सामान्य प्रशासन विभाग	93	35	128	68	5	73	55
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकिता शिक्षा विभाग	80	61	141	53	7	60	81
16	उच्च शिक्षा विभाग	58	89	147	36	0	36	111
17	गृह एवं जेल विभाग	133	110	243	77	15	92	151
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	8	3	11	7	0	7	4
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	14	7	21	8	2	10	11
20	श्रम विभाग	6	8	14	2	0	2	12
21	खनिज साधन विभाग	19	7	26	18	1	19	7
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1208	1635	2843	549	33	582	2261
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	8	23	31	3	0	3	28
24	लोक निर्माण विभाग	32	109	141	8	0	8	133
25	जनसंपर्क विभाग	0	2	2	0	1	1	1

क्रं.	विभाग	1.1.2022 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में प्राप्त शिकायतों प्रकरणों की संख्या	योग (3+4)	गतवर्ष के लंबित निराकृत प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2022 में निराकृत शिकायतों प्रकरणों की संख्या	कुल निराकृत शिकायतों की संख्या (6+7)	31.12.2022 को शेष प्रकरणों की संख्या (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	226	235	461	105	33	138	323
27	पुनर्वास विभाग	0	0	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	0	0	0	0	0	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	2	1	3	1	1	2	1
30	स्कूल शिक्षा विभाग	98	202	300	57	5	62	238
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	34	9	43	30	0	30	13
32	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	4	5	9	1	0	1	8
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	16	6	22	6	0	6	16
34	विज्ञान और पौद्योगिक विभाग	0	0	0	0	0	0	0
35	पर्यटन विभाग	14	3	17	0	0	0	17
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	159	113	272	100	2	102	170
37	जल संसाधन विभाग	43	18	61	34	2	36	25
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	46	23	69	21	3	24	45
39	समाज कल्याण विभाग	0	67	67	0	0	0	67
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	55	35	90	41	1	42	48
42	विमानन विभाग	0	0	0	0	0	0	0
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	1	1	0	0	0	1
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	1	1	0	0	0	1
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0	0	0	0
47	राज्य के बाहर	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**2636**	**3131**	**5767**	**1410**	**158**	**1568**	**4199**

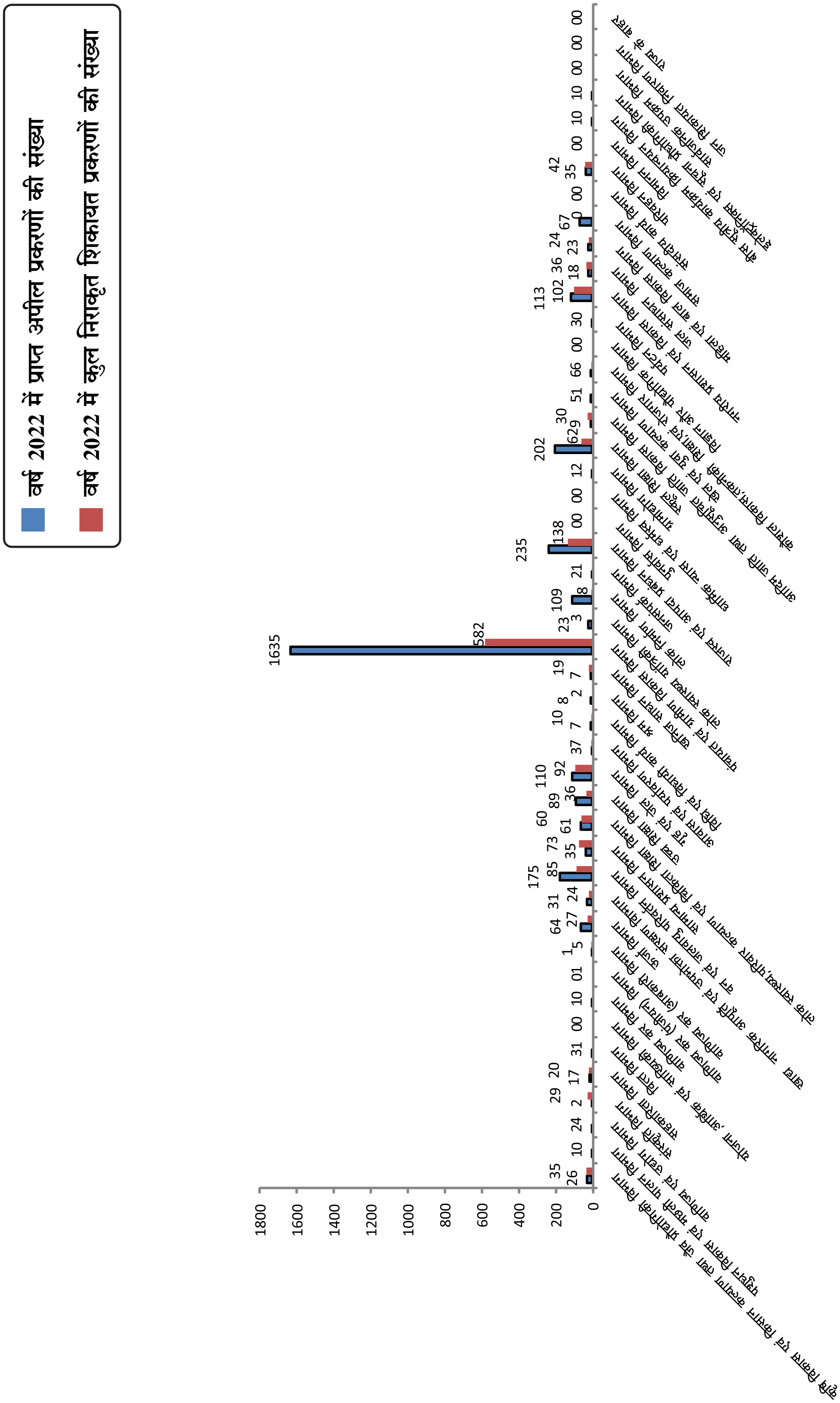
वर्ष 2022 में प्राप्त अपील प्रकरणों की संख्या
वर्ष 2022 में कुल निराकृत शिकायत प्रकरणों की संख्या
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

परिशिष्ट 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंर्तगत स्वप्रकटन करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण

क्र.	विभाग	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंर्तगत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वालों लोक प्राधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	56	308	312
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	57	56	56
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	32	25	27
4	संस्कृति विभाग	2	2	0
5	सहकारिता विभाग	3	3	3
6	वित्त विभाग	43	43	41
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	21	21	16
8	वाणिज्य कर विभाग	2	2	2
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	2	2	2
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग)	36	36	36
11	उर्जा विभाग	49	10	10
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	17	16	16
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	421	65	16
14	सामान्य प्रशासन विभाग	22	19	16
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	79	61	55
16	उच्च शिक्षा विभाग	344	290	219
17	गृह एवं जेल विभाग	202	141	111
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	27	26	9
19	विधि एवं विधायी विभाग	30	20	20
20	श्रम विभाग	59	58	39
21	खनिज साधन विभाग	5	5	5
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	9370	9122	8293
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	164	2	2
24	लोक निर्माण विभाग	4	4	2
25	जन संपर्क विभाग	3	1	2

क्र.	विभाग	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंर्तगत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वालों लोक प्राधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	307	252	225
27	पुनर्वास, विभाग	1	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	1	1	1
29	ग्रामोद्योग विभाग	70	6	6
30	स्कूल शिक्षा विभाग	13	12	11
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	479	270	16
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	2	1	1
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	42	41	41
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2	2	2
35	पर्यटन विभाग	3	3	3
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	178	178	178
37	जल संसाधन विभाग	205	53	20
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	2	2	1
39	समाज कल्याण विभाग	116	93	69
40	संसदीय कार्य विभाग	1	1	1
41	परिवहन विभाग	30	30	1
42	विमानन विभाग	1	1	1
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	2	2	2
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	1	1	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	2	2	2
	महायोग	**12508**	**11289**	**9891**

परिशिष्ट 4.2

विभागीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों का विवरण

क्र.	विभाग	जन सूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	528	254	39
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	65	136	14
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	40	26	34
4	संस्कृति विभाग	3	2	3
5	सहकारिता विभाग	37	37	9
6	वित्त विभाग	51	86	11
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	29	26	4
8	वाणिज्य कर विभाग	20	17	17
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	122	10	24
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	39	71	9
11	उर्जा विभाग	891	883	441
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	53	70	19
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	504	140	80
14	सामान्य प्रशासन विभाग	25	23	21
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	90	104	59
16	उच्च शिक्षा विभाग	686	600	0
17	गृह एवं जेल विभाग	675	508	318
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	0	0	0
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	41	9	27
20	श्रम विभाग	73	37	46
21	खनिज साधन विभाग	6	8	6
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	11620	3300	305
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	164	157	49
24	लोक निर्माण विभाग	81	167	28
25	जन संपर्क विभाग	32	3	3

क्र.	विभाग	जन सूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	328	260	220
27	पुनर्वास, विभाग	1	1	1
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	1	1	1
29	ग्रामोद्योग विभाग	70	16	6
30	स्कूल शिक्षा विभाग	55	40	12
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	738	2016	41
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	35	2	2
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग	267	184	15
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3	3	3
35	पर्यटन विभाग	3	3	3
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	178	178	178
37	जल संसाधन विभाग	324	350	79
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	306	72	73
39	समाज कल्याण विभाग	119	98	96
40	संसदीय कार्य विभाग	1	1	1
41	परिवहन विभाग	29	17	18
42	विमानन विभाग	1	1	1
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	2	2	2
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	1	0	1
46	जन शिकायत निवारण विभाग	1	0	1
	महायोग	**18338**	**9919**	**2320**

परिशिष्ट 4.3

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण

क्र.	विभाग	प्रशिक्षित जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों /अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था/जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3	4
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	315	13
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	131	0
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	45	1
4	संस्कृति विभाग	2	0
5	सहकारिता विभाग	45	0
6	वित्त विभाग	73	0
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	37	35
8	वाणिज्य कर विभाग	28	0
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	130	0
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	53	0
11	उर्जा विभाग	174	0
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	33	1
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	529	7
14	सामान्य प्रशासन विभाग	42	2
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	121	1
16	उच्च शिक्षा विभाग	177	8
17	गृह एवं जेल विभाग	345	1
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	82	0
19	विधि एवं विधायी विभाग	4	0
20	श्रम विभाग	46	0
21	खनिज साधन विभाग	5	0
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	11444	4294
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	156	0
24	लोक निर्माण विभाग	216	0
25	जन संपर्क विभाग	34	0

क्र.	विभाग	प्रशिक्षित जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों /अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था/जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3	4
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	360	29
27	पुनर्वास, विभाग	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	3	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	39	0
30	स्कूल शिक्षा विभाग	74	0
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	809	165
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	23	0
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	264	0
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7	0
35	पर्यटन विभाग	5	0
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	358	37
37	जल संसाधन विभाग	258	40
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	253	22
39	समाज कल्याण विभाग	71	23
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0
41	परिवहन विभाग	32	0
42	विमानन विभाग	3	0
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	3	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	2	0
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	1	0
	महायोग	**16832**	**4679**

परिशिष्ट 4.4

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण

क्र.	विभाग	गत वर्ष के लंबित आवदेनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	243	3242	3485	3397	88	0
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	0	944	944	930	14	0
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	0	937	937	919	15	3
4	संस्कृति विभाग	0	104	104	100	4	0
5	सहकारिता विभाग	16	1049	1065	925	131	9
6	वित्त विभाग	0	549	549	537	12	0
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	2	238	240	233	4	3
8	वाणिज्य कर विभाग	7	363	370	326	44	0
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	0	672	672	595	75	2
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	0	423	423	398	24	1
11	उर्जा विभाग	14	2733	2747	2655	86	6
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2	653	655	632	13	10
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	11	9142	9153	9143	10	0
14	सामान्य प्रशासन विभाग	18	2814	2832	2724	108	0
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	10	3396	3406	3337	69	0
16	उच्च शिक्षा विभाग	2	3258	3260	3226	27	7
17	गृह एवं जेल विभाग	235	17542	17777	17165	373	239
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	89	6431	6520	6422	3	95
19	विधि एवं विधायी विभाग	14	1037	1051	568	464	19
20	श्रम विभाग	0	656	656	635	21	0
21	खनिज साधन विभाग	0	182	182	174	8	0
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	46	21927	21973	21308	413	252
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1	1570	1571	1560	11	0
24	लोक निर्माण विभाग	9	3246	3255	3203	47	5
25	जन संपर्क विभाग	0	204	204	203	1	0

क्र.	विभाग	गत वर्ष के लंबित आवदेनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	228	10818	11046	9552	693	801
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	4	4	4	0	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	0	189	189	183	6	0
30	स्कूल शिक्षा विभाग	0	1424	1424	1398	26	0
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	0	2417	2417	2398	19	0
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	0	89	89	84	5	0
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	2	795	797	795	2	0
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	0	36	36	0	34	2
35	पर्यटन विभाग	0	92	92	82	10	0
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	6	9590	9596	9520	76	0
37	जल संसाधन विभाग	0	2451	2451	2425	26	0
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	0	2740	2740	2611	129	0
39	समाज कल्याण विभाग	0	434	434	415	19	0
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	10	2534	2544	2472	57	15
42	विमानन विभाग	0	10	10	10	0	0
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	46	46	46	0	0
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0	0	0
महायोग		**965**	**116981**	**117946**	**113310**	**3167**	**1469**

परिशिष्ट 4.5

प्रथम अपील एवं निराकरण का विवरण

क्र.	विभाग	गत वर्ष लंबित अपीलों प्रकरणों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिक विभाग	0	400	400	382	18	0
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	0	160	160	158	2	0
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	0	62	62	61	1	0
4	संस्कृति विभाग	0	18	18	18	0	0
5	सहकारिता विभाग	0	101	101	50	44	7
6	वित्त विभाग	1	49	50	48	2	0
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	0	6	6	5	1	0
8	वाणिज्य कर विभाग	0	117	117	86	30	1
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	0	64	64	64	0	0
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	0	31	31	30	1	0
11	उर्जा विभाग	6	407	413	389	17	7
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	72	72	68	3	1
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	3782	3783	3757	26	0
14	सामान्य प्रशासन विभाग	0	285	285	236	49	0
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2	382	384	354	27	3
16	उच्च शिक्षा विभाग	4	1464	1468	1452	16	0
17	गृह एवं जेल विभाग	10	982	992	910	70	12
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	179	180	146	26	8
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	0	71	71	21	47	3
20	श्रम विभाग	0	30	30	28	2	0
21	खनिज साधन विभाग	0	13	13	11	1	1
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	4	10548	10552	9748	73	731
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0	117	117	111	6	0
24	लोक निर्माण विभाग	0	638	638	585	37	16
25	जन संपर्क विभाग	0	27	27	22	5	0

क्र.	विभाग	गत वर्ष लंबित अपीलों प्रकरणों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	31	1680	1711	1151	548	12
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	0	0	0	0	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	0	40	40	40	0	0
30	स्कूल शिक्षा विभाग	0	248	248	242	6	0
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	1	412	413	383	26	4
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	0	11	11	11	0	0
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	1	79	80	78	2	0
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0	0	0
35	पर्यटन विभाग	0	4	4	4	0	0
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	0	1497	1497	1473	24	0
37	जल संसाधन विभाग	4	263	267	263	2	2
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	0	323	323	317	6	0
39	समाज कल्याण विभाग	0	67	67	67	0	0
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	7	159	166	49	106	11
42	विमानन विभाग	0	2	2	2	0	0
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	6	6	6	0	0
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	0	2	2	0	2	0
	महायोग	**73**	**24798**	**24871**	**22826**	**1226**	**819**

परिशिष्ट 4.6

आयोग द्वारा आदेशित अपील/शिकायत में अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति एवं अनुशंसित, अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण धारा-20(1) एवं (2) 19(8)(ख)

क्र.	विभाग	आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के तहत् आदेशित क्षतिपूर्ति का विवरण		आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20(1) के तहत् आदेशित अर्थदण्ड का विवरण		आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20(2) के तहत् आदेशित अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण	
		क्षतिपूर्ति की राशि (रू.)		अर्थदंड की राशि (रू.)		संख्या	
		अपील	शिकायत	अपील	शिकायत	अपील	शिकायत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	0	500	55000	5000	5	1
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	0	0	0	0	0	0
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1000	0	0	0	0	1
4	संस्कृति विभाग	0	0	0	255000	19	0
5	सहकारिता विभाग	0	0	0	0	0	0
6	वित्त विभाग		0	0	0	0	0
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	0	0	0	0	0	0
8	वाणिज्य कर विभाग	0	0	0	0	0	0
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	0	0	0	0	0	0
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	0	0	0	0	0	0
11	उर्जा विभाग	500	0	50000	10000	3	1
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		2200	5000	70000	10	2
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	5000	2000	445000	175000	35	14
14	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	25000		1	0
15	लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	500	500	230000	22000	19	2
16	उच्च शिक्षा	0	0	144250		8	0
17	गृह एवं जेल विभाग	500	0	50000	103150	18	1
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	0	0	0	50000	2	0
19	विधिक एवं विधायी विभाग	0	0	25000		1	0
20	श्रम विभाग	0	0	25000	11000	4	0
21	खनिज साधन विभाग	0	0	0	120000	12	0
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	17600	8100	4680750	2573750	372	52
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		500		5000	1	1
24	लोक निर्माण विभाग	300		135000	25000	7	1
25	जन संपर्क विभाग	0	0	0	0	0	0

क्र.	विभाग	आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के तहत् आदेशित क्षतिपूर्ति का विवरण		आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20(1) के तहत् आदेशित अर्थदण्ड का विवरण		आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20(2) के तहत् आदेशित अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण	
		क्षतिपूर्ति की राशि (रू.)		अर्थदंड की राशि (रू.)		संख्या	
		अपील	शिकायत	अपील	शिकायत	अपील	शिकायत
1	2	3	4	5	6	7	8
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	500	1000	120000	182000	19	2
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	0	0	0	0	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	0	0	0	0	0	0
30	स्कूल शिक्षा विभाग	1500	2300	208750	135000	16	6
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	0	0	10000	0	1	0
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	0	0	0	0	0	0
33	कौशल विकास,तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	500	1000	190000	0	10	2
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0	0	0
35	पर्यटन विभाग	0	0	0	0	0	0
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4400	1500	849500	302750	62	11
37	जल संसाधन विभाग	0	0	0	26250	2	0
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	500	500	40000	0	3	2
39	समाज कल्याण विभाग	7000		75000	0	3	14
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	0	0	25000	25000	2	0
42	विमानन विभाग	0	0	0	0	0	0
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	0	0	0	0	0
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0	0	0
	महायोग	**39800**	**20100**	**7388250**	**4095900**	**635**	**113**

परिशिष्ट 4.7

लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित शुल्क का विवरण

क्र.	विभाग	अधिनियम की धारा-6(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा-7(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा-7(5) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	योग (कॉलम 3+4+5) (रू.)
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	32601	87256	8806	128663
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	10507	41885	284	52676
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	13087	33663	0	46750
4	संस्कृति विभाग	2041	1535	0	3576
5	सहकारिता विभाग	10510	18984	0	29494
6	वित्त विभाग	6713	11110	474	18297
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	2480	4626	0	7106
8	वाणिज्य कर विभाग	3869	3872	1178	8919
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	7572	6160	154	13886
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	4802	12243	0	17045
11	उर्जा विभाग	30470	46404	3708	80582
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	9337	17679	3630	30646
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	89278	294664	104522	488464
14	सामान्य प्रशासन विभाग	21234	133236	0	154470
15	लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	61182	83518	96	144796
16	उच्च शिक्षा	33273	48294	2186	83753
17	गृह एवं जेल विभाग	173410	337327	8733	519470
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	64733	597283	4400	666416
19	विधिक एवं विधायी विभाग	10108	19961	474	30543
20	श्रम विभाग	8120	15909	50	24079
21	खनिज साधन विभाग	1750	3505	0	5255
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	232375	335720	8695	576790
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	22431	89200	0	111631
24	लोक निर्माण विभाग	37600	180210	16762	234572
25	जन संपर्क विभाग	1780	4646	0	6426

क्र.	विभाग	अधिनियम की धारा-6(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा-7(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	अधिनियम की धारा-7(5) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण (रू.)	योग (कॉलम 3+4+5) (रू.)
1	2	3	4	5	6
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	82731	60094	7774	150599
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	40	51	0	91
29	ग्रामोद्योग विभाग	2070	7097	4284	13451
30	स्कूल शिक्षा विभाग	12610	29633	861	43104
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	22986	75131	5605	103722
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	1260	1159	0	2419
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	9758	8665	2338	20761
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	360	92	0	452
35	पर्यटन विभाग	2714	238	0	2952
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	90804	293850	22677	407331
37	जल संसाधन विभाग	28725	141496	1976	172197
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	28513	61414	3648	93575
39	समाज कल्याण विभाग	4090	18229	1498	23817
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	20638	23030	5304	48972
42	विमानन विभाग	100	0	2724	2824
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	430	426	0	856
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग	0	0	0	0
	महायोग	**1199092**	**3149495**	**222841**	**4571428**

परिशिष्ट 4.8

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्र.	विभाग	प्राप्त आवेदन की कुल संख्या							
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल (कॉलम 3+4)	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछड़ें वर्ग	अन्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2320	922	3242	51	162	185	967	1877
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	680	264	944	33	80	45	407	379
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	866	71	937	10	52	25	93	757
4	संस्कृति विभाग	95	9	104	0	0	0	0	104
5	सहकारिता विभाग	689	360	1049	2	48	27	481	491
6	वित्त विभाग	425	124	549	31	69	96	139	214
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	186	52	238	12	28	42	64	92
8	वाणिज्य कर विभाग	352	11	363	4	12	37	103	207
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	573	99	672	11	31	26	163	441
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	359	64	423	11	30	12	120	250
11	उर्जा विभाग	2193	540	2733	28	103	146	445	2011
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	628	25	653	5	42	18	169	419
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	7260	1882	9142	51	565	548	2028	5950
14	सामान्य प्रशासन विभाग	2036	778	2814	34	190	265	575	1750
15	लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	2843	553	3396	145	174	237	841	1999
16	उच्च शिक्षा विभाग	2538	720	3258	117	292	169	1211	1469
17	गृह एवं जेल विभाग	11948	5594	17542	201	2342	1713	5908	7378
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	5342	1089	6431	40	43	73	282	5993
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	960	77	1037	16	6	1	35	979
20	श्रम विभाग	514	142	656	17	33	35	208	363
21	खनिज साधन विभाग	155	27	182	1	9	20	53	99
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	8323	13604	21927	457	2915	2597	9076	6882
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1412	158	1570	15	40	83	231	1201
24	लोक निर्माण विभाग	2752	494	3246	11	130	114	745	2246
25	जन संपर्क विभाग	147	57	204	0	7	5	9	183

क्र.	विभाग	प्राप्त आवदेन की कुल संख्या							
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल (कॉलम 3+4)	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछडें वर्ग	अन्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	6972	3846	10818	375	855	943	3993	4652
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	4	0	4	0	0	4	0	0
29	ग्रामोद्योग विभाग	161	28	189	4	34	13	54	84
30	स्कूल शिक्षा विभाग	1065	359	1424	22	118	111	498	675
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	1001	416	2417	30	115	204	361	1707
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	83	6	89	3	7	4	26	49
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	654	141	795	23	100	47	130	495
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	32	4	36	0	0	0	0	36
35	पर्यटन विभाग	92	0	92	0	0	0	0	92
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	9374	216	9590	443	569	417	2995	5166
37	जल संसाधन विभाग	2186	265	2451	9	88	99	646	1609
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	1754	986	2740	47	290	250	940	1213
39	समाज कल्याण विभाग	341	93	434	19	30	17	73	295
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	2491	43	2534	6	53	99	640	1736
42	विमानन विभाग	10	0	10	0	0	0	0	10
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	46	0	46	1	0	0	0	45
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग		0	0	0	0	0	0	0
महायोग		**81862**	**34119**	**116981**	**2285**	**9662**	**8727**	**34709**	**61598**

परिशिष्ट 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्र.	विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या				
		शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	149	948	440	228	1477
2	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	132	202	89	55	466
3	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	20	58	18	37	804
4	संस्कृति विभाग	51	2	4	6	41
5	सहकारिता विभाग	63	34	48	43	861
6	वित्त विभाग	149	60	52	45	243
7	योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग	59	7	29	12	131
8	वाणिज्य कर विभाग	93	14	10	40	206
9	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग	11	41	40	56	524
10	वाणिज्य कर (आबकारी विभाग	16	77	37	8	285
11	उर्जा विभाग	456	172	109	182	1814
12	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	281	38	23	30	281
13	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	104	4663	843	168	3364
14	सामान्य प्रशासन विभाग	249	106	304	210	1945
15	लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	440	232	243	478	2003
16	उच्च शिक्षा विभाग	403	315	214	668	1658
17	गृह एवं जेल विभाग	1290	305	331	3009	12607
18	आवास एवं पर्यावरण विभाग	28	254	138	1791	4220
19	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	98	6	130	211	592
20	श्रम विभाग	26	117	50	18	445
21	खनिज साधन विभाग	17	12	7	4	142
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	406	7805	2424	619	10673
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	53	262	219	253	783
24	लोक निर्माण विभाग	229	663	297	99	1958
25	जन संपर्क विभाग	20	44	4	3	133

क्र.	विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या				
		शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
26	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	339	793	733	519	8434
27	पुनर्वास, विभाग	0	0	0	0	0
28	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	0	0	0	0	4
29	ग्रामोद्योग विभाग	14	43	25	14	93
30	स्कूल शिक्षा विभाग	88	40	61	56	1179
31	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	166	668	180	141	1262
32	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	6	26	6	6	45
33	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	122	13	33	80	547
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	0	1	0	0	35
35	पर्यटन विभाग	4	2	5	2	79
36	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	292	757	747	683	7111
37	जल संसाधन विभाग	107	522	375	62	1385
38	महिला एवं बाल विकास विभाग	148	719	158	629	1086
39	समाज कल्याण विभाग	21	62	23	25	303
40	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0	0
41	परिवहन विभाग	3	77	174	124	2156
42	विमानन विभाग	1	0	2	0	7
43	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	0	0	0	0	0
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौधोगिकी विभाग	0	1	39	2	4
45	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	0	0	0	0	0
46	जन शिकायत निवारण विभाग		0	0	0	0
महायोग		**6154**	**20161**	**8664**	**10616**	**71386**

परिशिष्ट 5

आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों का वर्षवार विवरण (वर्ष 2006 से 2022 तक)

अनु. क्र.	वर्ष	अपील	शिकायत	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2006	585	828	1413
2	2007	1223	960	2183
3	2008	1247	978	2225
4	2009	1394	1047	2441
5	2010	1680	768	2448
6	2011	2854	1400	4254
7	2012	2409	577	2986
8	2013	2862	834	3696
9	2014	3554	922	4476
10	2015	2962	1079	4041
11	2016	3972	804	4776
12	2017	4448	1594	6042
13	2018	4000	1355	5355
14	2019	4001	998	4999
15	2020	4152	1329	5481
16	2021	3423	1470	4893
17	2022	4457	3131	7588
	महायोग	**49223**	**20074**	**69297**

वर्ष 2006 से 2022 तक प्राप्त द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरणों की संख्या

द्वितीय अपील प्रकरण

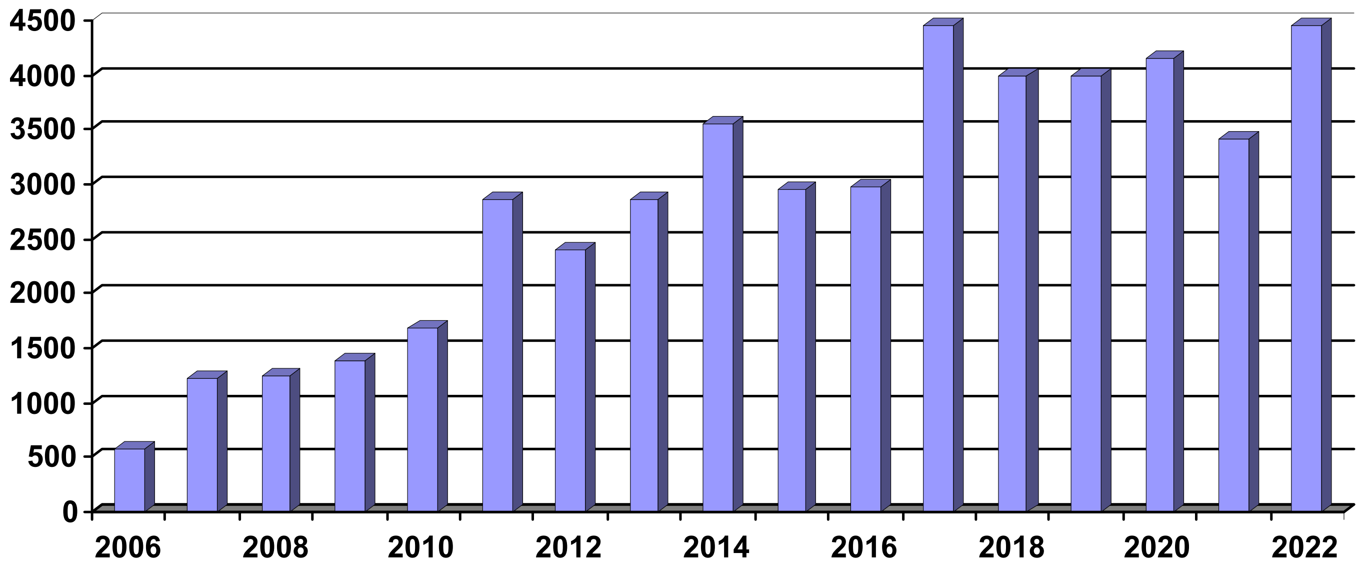

शिकायत प्रकरण

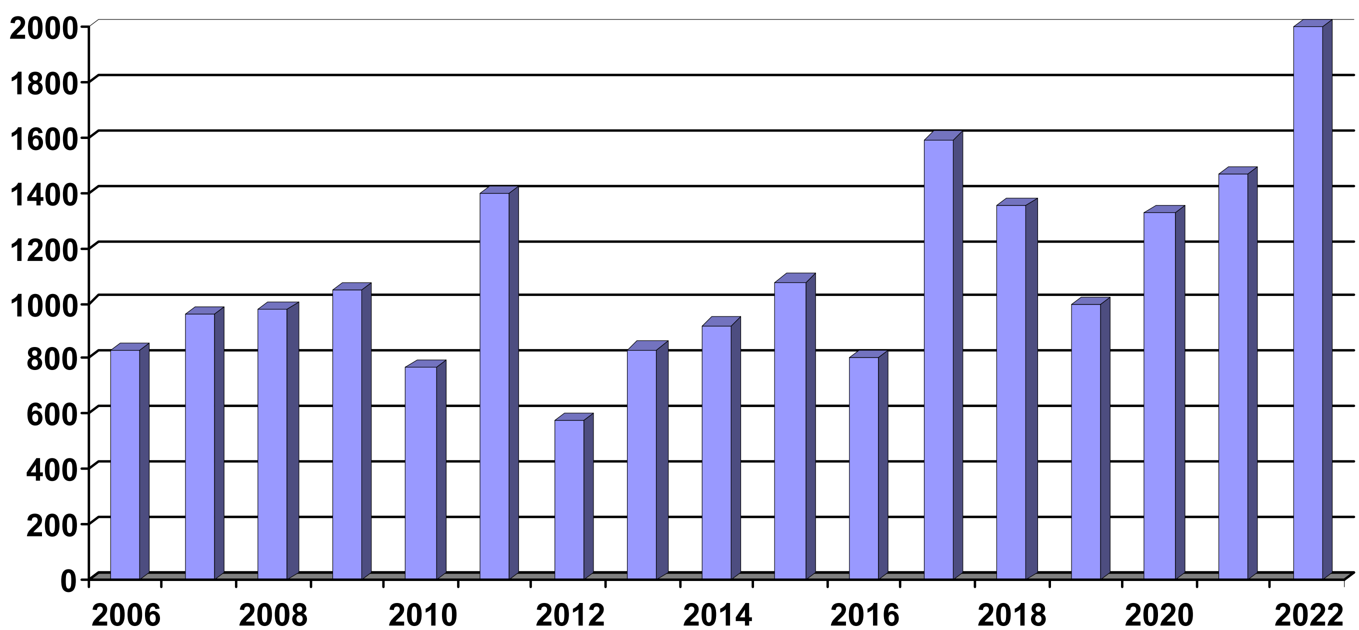

नोट

नोट

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, पिन कोड-492002

दूरभाष : कार्यालय (0771) 2512107, फैक्स नं. : 2512102

वेबसाइट : www.siccg.gov.in ई-मेल : sic.cg@nic.in

ऑनलाईन पोर्टल : rtionline.cg.gov.in